

**40**

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति  
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(उर्वरक विभाग)

अनुदानों की मांगे  
(2023-24)

चालीसवां प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

चालीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

अनुदानों की मांगे

(2023-24)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.03.2023 को राज्य सभा पटल पर रखा गया



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

## विषय सूची

		<b>पृष्ठ</b>
समिति (2022-23) की संरचना		(iv)
प्राक्कथन		(vi)
संक्षेपाक्षर		(vii)
<b>प्रतिवेदन</b>		
<b>भाग एक</b>		<b>कथन</b>
I	प्रस्तावना	1
II	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उर्वरक विभाग हेतु प्रस्तावित और अनुमोदित वित्तीय परिव्यय	2
III	2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बजटीय आबंटन और उपयोग तथा 2023-24 के लिए बजटीय आबंटन	7
IV	उर्वरक उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां	12
V	उर्वरक राजसहायता स्कीम	16
VI	2023-24 की बजट घोषणा- शुरू की जाने वाली नई स्कीमें और भावी रणनीति	19
VII	नवोन्मेषी/वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना	24
VIII	अन्य मुद्दे	26
<b>भाग दो</b>	<b>टिप्पणियां/सिफारिशें</b>	<b>28</b>
<b>अनुबंध</b>		
I	उर्वरक संयंत्रों के नाम तथा उत्पादन में कमी के कारण	38
<b>परिशिष्ट</b>		
I.	दिनांक 14 फरवरी, 2023 को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की बैठक का कार्यवाही सारांश।	44
II.	दिनांक ..... मार्च, 2023 को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की बैठक का कार्यवाही सारांश।	48

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की संरचना

(2022-23)

डॉ. शशि थरूर - सभापति

### सदस्य लोक सभा

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री एम. बदरूद्दीन अजमल
4. श्री सी. एन. अन्नादुरई
5. श्री दीपक बैज
6. श्री रामाकान्त भार्गव
7. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
8. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
9. डॉ. संजय जायसवाल
10. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
11. श्री कृपानाथ मल्लाह
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. श्री अरूण कुमार सागर
15. श्री एम. सेल्वराज
16. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
17. श्री अतुल कुमार सिंह ऊर्फ अतुल राय
18. श्री प्रदीप कुमार सिंह
19. श्री उदय प्रताप सिंह
20. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
21. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

### राज्य सभा

22. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर
23. डा. अनिल जैन
24. श्री अरूण सिंह
25. श्री राम नाथ ठाकुर\*
26. श्री विजय पाल सिंह तोमर
27. रिक्त
28. रिक्त
29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

\* नामांकित w.e.f. 13.02.2023 लोकसभा बुलेटिंग-भाग II पैरा संख्या 6251 दिनांक 14.02.2023 द्वारा।

## सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एन. के. झा	-	निदेशक
3.	श्रीमती गीता परमार	-	अपर निदेशक
4.	श्री पन्नालाल	-	अवर सचिव

## प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी यह चालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विचार किया, जिन्हें 10 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया था। तदुपरांत समिति ने 14 फरवरी, 2023 को उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने 20 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

4. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;  
20 मार्च, 2023  
29 फाल्गुन, 1944 (शक)

डॉ. शशि थरूर  
सभापति,  
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

## प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दों का प्रथमाक्षर/संक्षेपाक्षर

एई	वास्तविक व्यय
बीई	बजट अनुमान
बीवीएफसीएल	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीएएन	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सीसीईए	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
डीएंडएफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
डीएपी	डाई-अमोनियम फॉस्फेट
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीटी	प्रत्यक्ष नकद अंतरण
डीडीडब्ल्यूएस	पेयजल आपूर्ति विभाग
डीएफजी	अनुदानों की मांगों
डीओई	व्यय विभाग
डीओएफ	उर्वरक विभाग
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईपीएमसी	शक्ति प्राप्त पूल प्रबंधन समिति
ईएसएस	ऊर्जा बचत योजनाएँ
एफएसीटी	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
एफएजीएमआईएल	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
एफसीआईएल	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एफसीओ , 1985	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985
एफआईसीसी	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति
एफओएम	किण्वित जैविक खाद
एफवाई	वित्तीय वर्ष
गेल	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
जीकैल	गीगाकैलरी
जीएनवीएफसी-भरूच	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
एचएफसीएल	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड

आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीएफएफटीआर	इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट रिसर्च
आईसीएफएफटीआर	इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट रिसर्च
आईएफएमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
केएफसीएल-कानपुर	कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
एलएमटी	लाख मीट्रिक टन
एमएफएल	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड
एमएच	मुख्य शीर्ष
एमएमबीटीयू	मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओपी	म्युरियेट आफ पोटाश
एमओपीएंडएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमटी	मीट्रिक टन
एनबीएस योजना	पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना
एनएफसीएल	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
एनएफएल	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
एनपीके उर्वरक	नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक
एनपीकेएस	नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर
एनपीएस-III	नई मूल्य निर्धारण योजना-III
एनयूपी	नई यूरिया नीति
ओमिफको	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी
पीएंडके उर्वरक	नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक
पीडीआईएल	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
पीडीएम	शीरे से प्राप्त पोटाश
पीएम- प्रणाम	पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम
पीआरओएम	फास्फेट युक्त जैविक खाद
पीएसयू	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
आरएंडडी	अनुसंधान और विकास



आरएसी	पुनर्मूल्यांकन क्षमता
आरसीएफ	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
आरसीएफ	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
आरई	संशोधित अनुमान
आरएलएनजी	पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस
सतत	वहनीय परिवहन हेतु धारणीय विकल्प
एससीयू	सल्फर लेपित यूरिया
एसएफसी-कोटा	शेरोन फैलोशिप चर्च-कोटा
एसएसपी	सिंगल सुपर फास्फेट
एसएसपी + यूरिया	सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया
टीईएन	लक्ष्य ऊर्जा मानक
यूएसएस	यूरिया सब्सिडी योजना
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
\$	डॉलर

**प्रतिवेदन**  
**अध्याय एक**  
**कथन**

**प्रस्तावना**

1.1 2025 तक 1400 मिलियन की अनुमानित आबादी को भोजन प्रदान करने के लिए भारत की खाद्यान्न आवश्यकता 300 मिलियन टन (चावल पर आधारित, अर्थात् बिना भूसी धान चावल) होगी। कपास, गन्ना, फल और सब्जियों जैसी अन्य फसलों की आवश्यकता में तदनुसार वृद्धि होगी। देश को पौधों के पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोतों अर्थात् उर्वरकों, जैविक खादों और जैव-उर्वरकों से लगभग 45 मिलियन टन पोषक तत्वों (खाद्यान्न के लिए 30 मिलियन टन और अन्य फसलों के लिए 15 मिलियन टन पोषक तत्वों) की आवश्यकता होगी। फसल उत्पादन में वृद्धि उनकी पैदावार में वृद्धि से होनी चाहिए क्योंकि खेती किए जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि की गुंजाइश सीमित है। अधिकांश फसलों की पैदावार अपेक्षाकृत कम है और उर्वरकों जैसे आदानों के बढ़ते उपयोग के माध्यम से उनमें वृद्धि की संभावना अधिक है। उर्वरक का उपयोग कृषि के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

1.2 उर्वरक, पानी और बीज उच्च कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आदान हैं। उर्वरकों के बढ़ते उपयोग ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने और देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत विश्व में तैयार उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत उर्वरकों, तैयार उत्पादों के साथ-साथ कच्चे माल दोनों का ही अत्यधिक रूप से आयात करता है।

1.3 देश में प्रमुख उर्वरकों में, कुल आवश्यकता की तुलना में, लगभग 75% यूरिया, 40% डीएपी और 85% एनपीकेएस का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। शेष का आयात भारत सरकार (यूरिया के मामले में) और पीएंडके (ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत) के मामले में कंपनियों द्वारा उर्वरकों की आवश्यकता और उत्पादन के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए किया जाता है।

1.4 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए सस्ते मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विभाग के मुख्य कार्यों में उर्वरक उद्योग की योजना, संवर्धन और विकास, उत्पादन की योजना और निगरानी,

उर्वरकों का आयात और वितरण और स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के लिए राजसहायता/रियायत के माध्यम से वित्तीय सहायता का प्रबंधन शामिल है।

1.5 विभाग के तहत एक संबद्ध कार्यालय है, अर्थात्, कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) जो नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए माल भाड़े सहित समूह रियायत दरों को समय-समय पर विकसित करने और समीक्षा करने, खातों को बनाए रखने, उर्वरक कंपनियों को भुगतान करने और उनसे राशि वसूलने, लागत और अन्य तकनीकी कार्य करने और उत्पादन डेटा, अन्य जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग के पास 9 उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात् राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)/नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)/मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल)/फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स एंड त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी)/ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)/एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल)/प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)/फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)/हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) भी हैं।

1.6 उर्वरक विभाग ने 10 फरवरी, 2023 को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी विस्तृत अनुदान मांगों (मांग संख्या 6) प्रस्तुत कीं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 1,79,128.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभाग की अनुदान मांगों की गहन जांच की है और ये विवरण प्रतिवेदन के आगामी पैराग्राफ में दिए गए हैं। समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन के अंत में दी गई हैं।

## **दो. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उर्वरक विभाग के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित वित्तीय परिव्यय**

2.1 समिति ने वर्ष 2023-24 के लिए उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तावित बजटीय आवंटन और वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए वास्तविक आवंटन के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। विभाग ने निम्नानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत की है:

**(करोड़ रुपये में)**

स्कीम का नाम	प्रस्तावित बजट अनुमान 2023-24	वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ब.अ. 2023-24
--------------	-------------------------------	---

सचिवालय आर्थिक सेवाएं		
वेतन	30.30	30.30
गैर वेतन	15.33	14.75
कुल '3451'	45.63	45.05
पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति		
स्वदेशी पीएण्डके उर्वरकों के लिए भुगतान	65023.00	25500.00
आयातित पीएण्डके उर्वरकों के लिए भुगतान	42086.00	18500.00
शहरी कम्पोस्ट के लिए भुगतान	0.00	0.00
कुल '2401'	107109.00	44000.00
यूरिया राजसहायता		
स्वदेशी यूरिया के लिए भुगतान	143962.00	104063.08
यूरिया के आयात के लिए भुगतान	48640.00	31000.00
डीबीटी		
कार्यालयी व्यय	1.54	1.54
व्यावसायिक सेवाएं	15.40	15.40
कुल डीबीटी	16.94	16.94
बीवीएफसीएल को सहायता अनुदान	0.00	0.00

अनुसंधान एवं विकास बजट शीर्ष के लिए सहायता अनुदान	0.10	0.10
भारतीय शिपिंग कंपनियों को राजसहायता समर्थन	3.79	3.25
कुल '2852'	192622.83	135083.37
सकल योग (राजसहायता)	299731.83	179083.37
कुल वसूली	3980.00	3980.00
निवल योग (राजसहायता)	295751.83	175103.37
एचएफसीएल, एफसीआई, एमएफएल, पीडीआईएल और एफएसीटी के भारत सरकार के बकाया ऋण और ऋण पर ब्याज को बढ़े खाते डालना	0.01	0.01
कुल '3475'	0.01	0.01
एचएफसीएल	0.01	0.01
एफसीआई	0.01	0.01
पीपीसीएल	0.01	0.01
बीवीएफसीएल	0.01	0.01
एचयूआरएल	0.01	0.01
कुल '6855'	0.05	0.05
सकल (योग)	299777.52	179128.48
कुल (निवल)	295797.52	175148.48

2.2 समिति ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तावित 2,95,797.52 करोड़ रुपये (निवल) के बजट परिव्यय को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा घटाकर 1,75,148 करोड़ रुपये (निवल) कर दिया गया है।

2.3 समिति ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजटीय आवंटन में कटौती के कारणों के बारे में पूछा। विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि 2022-23 के लिए बजट अनुमान 1,09,242.23 करोड़ (सकल) आवंटित किया गया है जबकि 2023-24 के लिए बजट अनुमान 179128.48 करोड़ (सकल) है जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। किसानों को वहनीय दरों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और आवश्यकता पड़ने पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

2.4 इस संदर्भ में, साक्ष्य के दौरान, डीओएफ के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

“वास्तव में, यूरिया आयात के मूल्यों में भी कमी आई है। दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही आदि में गैस के मूल्य कम हुए हैं। अतः, हमें लगता है कि 1,79,000 करोड़ रुपये की इस राशि से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि अगले वर्ष के लिए इससे थोड़ी अधिक राशि की आवश्यकता होगी। किंतु हम इस प्रयोजन को पूरा कर पाएंगे। यह राशि इस वर्ष की तरह पर्याप्त नहीं होगी।”

2.5 आगे निम्नवत यह बताया गया:

“जब वित्त मंत्रालय को मांगें भेजी गई थीं, उस समय गैस के मूल्य अत्यधिक ऊंचाई पर थे। हमें 52 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू और 57 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की बोली मिल रही थी। तब से हमने गैस के मूल्य कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसलिए, पूल गैस के मूल्य कम होने लगे।

महोदय, पूल गैस में 10 प्रतिशत घरेलू गैस होती है जो काफी सस्ती होती है, 65 प्रतिशत दीर्घकालिक आरएलएनजी होती है और 25 प्रतिशत हाजिर आरएलएनजी होती है जो सबसे महंगी होती है। यदि हम तीनों को एक साथ मिलाते हैं, तो हम एक पूल गैस प्राप्त होती है। इसलिए, अगस्त में पूल गैस की मूल्य 25.09 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी, सितंबर में यह 25.05 डॉलर थी, अक्टूबर में 23.47 डॉलर, नवंबर में 20.89 डॉलर, दिसंबर में 18.05 डॉलर,

जनवरी में यह 18.11 डॉलर थी, और फरवरी में यह 17.45 डॉलर तक कम होने की आशा है।”

2.6 लिखित उत्तर में यह बताया गया कि विभाग ने स्वदेशी यूरिया के लिए राजसहायता हेतु बजट अनुमान 2023-24 के संबंध में 1,43,962 करोड़ रुपये की मांग की थी। तथापि, वित्त मंत्रालय ने केवल 1,04,063 करोड़ रुपये ही आवंटित किए हैं। संभवतः वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के समग्र बजट और 2023-24 के दौरान भारत सरकार के राजस्व और व्यय के संभावित अनुमानों को ध्यान में रखते हुए राजसहायता भुगतान के लिए आवंटन को कम कर दिया है। यूरिया के उत्पादन की लागत के लिए प्राकृतिक गैस की लागत एक प्रमुख लागत घटक है और वर्तमान में गैस की मूल्य कमी का रुख दर्शा रही है और यदि यह रुख बना रहता है, तो इससे 2023-24 के दौरान स्वदेशी यूरिया राजसहायता पर व्यय कम होगा

2.7 हालांकि, विभाग ने आशंका जताई है कि 2023-24 के लिए बजट आवंटन में कमी के कारण, सभी स्कीमों में विलम्ब बढ़ने की संभावना है। एनबीएस के अंतर्गत उप स्कीमों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 1,07,109 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में बजटीय आवंटन केवल 44,000 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 1,43,962 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में, स्वदेशी यूरिया के लिए राजसहायता हेतु बजट अनुमान 2023-24 के अंतर्गत 1,04,063 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। चूंकि आवंटित राशि वर्ष 2023-24 के लिए राजसहायता निधि की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का पुनःआकलन किया जाएगा और 2023-24 के लिए सं.अ./पूरक के समय मांग की जाएगी

2.8 विभाग ने और अधिक निधियों की अपनी आवश्यकता को उचित ठहराने और संशोधित अनुमान स्तर पर एमओएफ से प्रस्तावित स्तर की निधियों की मांग करने के लिए उपलब्ध निधियों के इष्टतम उपयोग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के त्वरित निष्पादन के लिए अपने द्वारा किए जा रहे/किए जाने वाले अग्रिम उपायों के संबंध में बताया कि उर्वरक कंपनियों के राजसहायता/डीबीटी दावों का निपटान निधि की उपलब्धता होने पर नियमित रूप से किया जा रहा है। आयातित यूरिया स्कीम पर राजसहायता के संबंध में, राज्य व्यापार उद्यमों के समयबद्ध दावों को शुरू में भुगतान करने का प्रस्ताव है।

**तीन. 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग तथा 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन**

3.1 पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति (एमएच 2401) और यूरिया राजसहायता (एमएच 2852) के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत पिछले तीन वर्षों (वर्ष-वार) के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) और वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

	ब.अ. 2020-21	सं.अ. 2020-21	वा.व्यय 2020-21	ब.अ. 2021-22	सं.अ. 2021-22	वा.व्यय 2021-22	ब.अ. 2022-23	सं.अ. 2022-23	वा.व्यय 2022-23*	ब.अ. 2023-24
पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति (एमएच 2401)	23504.00	38989.88	37372.47	20762.00	64192.00	52769.97	42000.00	71122.23	61593.55	44000.00
(क) स्वदेशी पीएण्डके उर्वरकों के लिए भुगतान	14179.00	23901.53	22288.36	12460.00	39062.66	31931.46	25200.00	42089.67	38133.34	25500.00
(ख) आयातित पीएण्डके उर्वरकों के लिए भुगतान	9296.00	15015.37	15015.37	8260.00	25087.34	20794.80	16800.00	29032.56	23460.21	18500.00
(ग) शहरी कम्पोस्ट के लिए भुगतान	29.00	72.98	68.74	42.00	42.00	43.71	0.00	0.00		
यूरिया राजसहायता (एमएच 2852)	50425.00	99537.42	93857.03	62786.28	84862.40	104870.12	67186.78	157351.39	127541.56	135063.18
(क) स्वदेशी यूरिया के लिए भुगतान	38375.00	74487.80	68807.41	43236.28	48612.00	54619.72	46596.78	118457.24	95015.94	104063.18
(ख) यूरिया के आयात के लिए भुगतान	12050.00	25049.62	25049.62	19550.00	36250.40	50250.40	20590.00	38894.15	32525.62	31000.00
कुल	73929.00	138527.30	131229.50	83548.28	149054.40	157640.09	109186.78	228473.62	189135.11	179063.18



**\* वा.व्यय 2022-23 07.01.2023 तक है।**

3.2 समिति यह पाती है कि पोषकतत्व आधारित राजसहायता स्कीम के संबंध में वा.व्यय 2020-21 और 2021-22 क्रमशः 37372.47 करोड़ रु. और 52769.97 करोड़ रु. सं.अ. 2020-21 और 2021-22 क्रमशः 38989.88 करोड़ रु. और 64192.00 करोड़ रु. से कम है।

3.3 इस संबंध में समिति निधियों के कम उपयोग के क्या कारण जानना चाहती है। अपने उत्तर में विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कम बिक्री के कारण बिलों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण; आईएफएमएस के नए मालभाड़ा मॉड्यूल में तकनीकी खराबी के कारण 237.66 करोड़ रुपये के डिजिटल मालभाड़ा बिलों को स्वीकृत नहीं किया जा सका। इन दावों को पहली बार डिजिटल रूप से सृजित किया गया था और कुछ अधूरे बिलों को वापस कर दिया गया जो सही नहीं थे।

3.4 समिति ने संशोधित अनुमान स्तर पर वर्षों से यूरिया राजसहायता योजना के लिए राशि में वृद्धि, जो कि बजट अनुमान, 2020-21 में 50425.00 करोड़ रुपये से बढ़कर संशोधित अनुमान, 2020-21 में 99537.42 करोड़ रुपये, बजट अनुमान, 2021-22 में 62786.28 करोड़ रुपये से बढ़कर संशोधित अनुमान, 2021-22 में 84862.40 करोड़ रुपये और बजट अनुमान, 2022-23 में 67186.78 करोड़ रुपये से बढ़कर संशोधित अनुमान, 2022-23 में 1,57351.39 करोड़ रुपये कर दिया गया था के कारणों के बारे में भी पूछा। विभाग ने उत्तर में बताया कि सं.अ. स्तर पर आयातित यूरिया के लिए बजट में वृद्धि के संबंध में इसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को माना जा सकता है। यद्यपि, निधि के बजट अनुमान आबंटन के स्तर पर उर्वरकों पर राजसहायता के लिए बजटीय सहायता आवश्यकता से कम है, तथापि संशोधित अनुमान स्तर पर और अधिक निधियां आबंटित करके पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट अनुमान के आंकड़े केवल प्रारंभिक अनुमान हैं और यह एक परंपरागत (कंजर्वेटिव) अनुमान है और वर्ष के दौरान उर्वरकों की मांग के रुख और यूरिया के विनिर्माण के लिए आदान लागत के मूल्यों को भी ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता का पुनःआकलन किया जाता है।

3.5 यूरिया राजसहायता के लिए बजट अनुमान, 2023-24 को बढ़ाकर 135063.18 करोड़ रुपये करने जबकि बजट अनुमान, 2022-23 में 67186.78 करोड़ रुपये था, के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने बताया कि घरेलू यूरिया विनिर्माण में मुख्य आदान लागत गैस की लागत है। गैस की दर 2021-22 में 4,205 रुपये/जीकैल की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 7,263 रुपये/जीकैल हो गई है। इस प्रकार, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में गैस की मूल्य में 73% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि गैस की लागत का हिस्सा कुल रियायती दर का 85% है, इसलिए स्वदेशी विनिर्मित

यूरिया पर राजसहायता व्यय में गैस के मूल्यों में वृद्धि का काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, स्वदेशी यूरिया उत्पादन में 2021-22 में 250.72 लाख मीट्रिक टन से 2022-23 में 281 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित उत्पादन के साथ 12% की वृद्धि हुई है। इसलिए, गैस की मूल्य में वृद्धि और स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ब.अ. 2023-24 को उच्च स्तर पर रखा गया है।

3.6 यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग पोषकतत्व आधारित राजसहायता योजना के संबंध में आवंटित 71122.23 करोड़ रुपये और यूरिया राजसहायता योजना के लिए आवंटित 157351.39 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान, 2022-23 का 31.03.2023 तक पूरी तरह से उपयोग कर पाएगा, विभाग ने कहा है कि उन्होंने एनबीएस योजना के संबंध में अधिकांश निधियों का पहले ही उपयोग कर लिया है और स्वदेशी यूरिया के लिए आवंटित कुल निधियों का भी 31.03.2023 तक पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।

### **पोषकतत्व आधारित राजसहायता स्कीम (एमएच-2401)**

3.7 समिति पाती है कि वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान एनबीएस स्कीम के संबंध में बजट आवंटन में अत्यधिक कमी आई है। बजट अनुमान 2023-24 के लिए 44,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 में 77,129.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। पीएंडके उर्वरक राजसहायता नीति के अंतर्निहित उद्देश्यों और आवश्यकताओं को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि उपलब्ध बजटीय सहायता के साथ स्वदेशी पीएंडके योजना को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। निधियों के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के मामले में, डीओएफ उचित समय पर वित्त मंत्रालय से संपर्क करेगा।

### **मुख्य शीर्ष 2852 – यूरिया राजसहायता**

3.8 समिति ने इस वर्ष के प्रस्तावित आवंटन और संशोधित अनुमान 2022-23 के 174041.13 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में यूरिया राजसहायता (स्वदेशी यूरिया राजसहायता और आयातित यूरिया राजसहायता दोनों के भुगतान सहित) के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 में आवंटन में अत्यधिक कमी को देखते हुए; चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नीति के अंतर्निहित उद्देश्यों और आवश्यकताओं को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछा। डीओएफ ने उत्तर दिया है कि किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (यूरिया के 45 किलोग्राम बोरी की मूल्य 242 रुपये प्रति बोरी है, नीम कोटिंग के प्रभारों और लागू करों को छोड़कर) पर प्रदान किया जा रहा है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार

प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को रियायती दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है। यूरिया की उत्पादन लागत का प्रमुख घटक प्राकृतिक गैस है। इसलिए, गैस लागत में किसी भी वृद्धि/कमी का सीधा प्रभाव सरकार को दी जाने वाली राजसहायता पर पड़ता है। हाल ही में, भू-राजनीतिक स्थिति और अन्य कारकों के कारण प्राकृतिक गैस की मूल्य जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 24.22 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी, वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 21.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक कम होने की उम्मीद है। तदनुसार, यूरिया की उत्पादन लागत वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 47,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटकर 42,548 रुपये प्रति मीट्रिक टन होने की संभावना है। तदनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान सरकार के राजसहायता व्यय में कमी आएगी। यह भी बताया गया कि आयातित यूरिया लागत 650 डॉलर प्रति मीट्रिक टन (औसत दर 2021-22) से घटकर 400 डॉलर प्रति मीट्रिक टन (फरवरी 2023) हो गई है। इसके अतिरिक्त, आयातित यूरिया दावों का भुगतान उपलब्ध बजटीय समर्थन के साथ किया जाएगा। निधियों के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के मामले में, उर्वरक विभाग उपयुक्त समय पर वित्त मंत्रालय से संपर्क करेगा।

### **यूरिया और पीएंडके उर्वरक राजसहायता के संबंध में अग्रेनीत देयताएं**

3.9 आज की स्थितिनुसार यूरिया और पीएंडके उर्वरक राजसहायता (स्वदेशी और आयातित दोनों) आदि के संबंध में अग्रेनीत देयताओं का ब्योरा पूछे जाने पर, उर्वरक विभाग ने बताया है कि उर्वरक कंपनियों के राजसहायता/डीबीटी दावों का निपटान निधियों की उपलब्धता के अध्वधीन नियमित रूप से किया जा रहा है और जहां तक स्वदेशी यूरिया का संबंध है, आज की तारीख में पिछले वर्ष से संबंधित कोई अग्रेनीत देयता नहीं है। 01.04.2022 तक आयातित यूरिया के संबंध में अग्रेनीत देनदारियां 869.50 करोड़ रुपये थीं जिसे आज की तारीख में घटाकर 303.35 करोड़ रु कर दिया गया है। शेष दावे विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अग्रेनीत देयताओं की स्थिति निम्नानुसार है:

#### **अग्रेनीत देयताएं**

**(रुपए करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	2021-22	आज की तारीख के अनुसार
आयातित पीएण्डके	2.57	0.00
स्वदेशी पीएण्डके	237.66	0.00
शहरी कंपोस्ट	0.00	0.00
आयातित यूरिया	869.50	324.55
कुल	1109.73	

3.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को उनकी क्षमता वृद्धि परियोजनाओं में सुविधा प्रदान करने और उनकी ऊर्जा दक्षता आदि में और सुधार करने के लिए की गई/प्रस्तावित पहलों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि यूरिया के उत्पादन को अधिकतम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 1 जून 2015 से नई यूरिया नीति -2015 (एनयूपी-2015) शुरू की गई है। इकाइयों द्वारा अपनी पुनर्मूल्यांकित वार्षिक उत्पादन क्षमता से अधिक यूरिया के उत्पादन को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रावधानों के कारण एनयूपी-2015 में शामिल इकाइयों द्वारा यूरिया के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हुई है। घरेलू यूरिया विनिर्माण इकाइयों द्वारा 2014-15 के दौरान यूरिया का वास्तविक उत्पादन लगभग 225 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) था और एनयूपी-2015 की शुरुआत के बाद मौजूदा इकाइयों द्वारा यूरिया का वास्तविक उत्पादन प्रति वर्ष 20-25 एलएमटी तक बढ़ गया है।

3.11 यह भी बताया गया है कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, एनयूपी -2015 के अंतर्गत शामिल 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों को उनके पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानकों के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी को एनपीएस-III के अंतर्गत उनके पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानकों के आधार पर लक्ष्य ऊर्जा मानक (टीईएन) दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयां ईएसएस के कार्यान्वयन को पूर्ण कर चुकी हैं या अग्रिम चरण में हैं। ईएसएस के कार्यान्वयन के बाद इनमें से अधिकांश इकाइयों द्वारा वास्तविक ऊर्जा खपत में कमी आई है। एसएफसी-कोटा, केएफसीएल-कानपुर, एनएफसीएल-I और एनएफसीएल-II नामक 4 इकाइयों ने कोई ईएसएस लागू नहीं किया है। एसएफसी-कोटा, जीएनवीएफसी-भरूच और केएफसीएल-कानपुर नामक 3 इकाइयां ऊर्जा के मिश्रण के रूप में कोयले का उपयोग करती हैं और नीति आयोग के अंतर्गत एक विशेषज्ञ निकाय ने सिफारिश की है कि ये इकाइयां यूरिया के उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग जारी रख सकती हैं। तदनुसार, यह देखा गया है कि कोयले के अनुपात को प्राकृतिक गैस से बदले बिना इन इकाइयों के लिए टीईएन हासिल करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि टीईएन पर भी कोयले को अधिक महंगे आरएलएनजी से बदल दिया जाता है तो उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। इन इकाइयों के लिए संशोधित टीईएन तय करने का प्रस्ताव उर्वरक विभाग में विचाराधीन है। एनएफसीएल-I और II नामक 2 यूरिया इकाइयों के संबंध में, एनएफसीएल ने सूचित किया है कि उसने ईएसएस को लागू करने की भी योजना बनाई है, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण इसने ईएसएस परियोजना को अभी तक लागू नहीं किया है।

### **आर एंड डी बजट शीर्ष को सहायता अनुदान**

3.12 उर्वरक सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आर एंड डी बजट शीर्ष में सहायता अनुदान के लिए 0.10 करोड़ रुपये की अल्प/टोकन राशि

की मांग करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि आर एंड डी बजट शीर्ष परियोजना के आधार पर वित्तपोषण के लिए है। अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर उर्वरक विभाग अनुसंधान एजेंसियों/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईसीएफएफटीआर (इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट रिसर्च) के लिए एक बजट शीर्ष बनाया गया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक और उर्वरक विनिर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करना है। आईसीएफएफटीआर के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम पूरक चरण में निधि की मांग की जाएगी।

#### चार. उर्वरक उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां:

4.1 अनुदान मांगों 2023-24 पर प्रस्तुति के दौरान, विभाग के एक प्रतिनिधि ने अन्य बातों के साथ-साथ समिति को बताया कि देश में प्रमुख उर्वरकों की खपत लगभग 636 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें यूरिया, एनपीके, डीएपी, एमओपी और एसएसपी शामिल हैं। विगत वर्ष तक देश में यूरिया का उत्पादन लगभग 250 एलएमटी था जो अब बढ़कर लगभग 280 एलएमटी हो गया है। एनपीके, एमओपी, डीएपी, एसएसपी आदि से युक्त पीएण्डके उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 185 एलएमटी में सीमित है। विगत वर्ष यूरिया का आयात करीब 91.3 एलएमटी और पीएण्डके उर्वरकों का आयात 90.92 एलएमटी था। देश एसएसपी आयात नहीं करता है। लेकिन एमओपी के मामले में देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर है।

4.2 उर्वरक विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के लिए उर्वरक उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

क्रम .स .	सब्सि डी योजना का नाम	विभाग	2020-21			2021-22			2022-23 (नवंबर तक 2022)			2023-24
			लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हों, संक्षेप में कारण बताते हुए	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हों, संक्षेप में कारण बताते हुए	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हों, संक्षेप में कारण बताते हुए	लक्ष्य
1	यूरिया	PMI-I	267.08	246.05	#	280.04	250.72	#	209.87	187.21	#	304.04
2	पी एंड के	PMI-I	271.30	187.63	#	284.14	185.23	#	186.14	133.58	#	185.00

4.3 वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान यूरिया और पीएंडके उर्वरकों के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि यूरिया के संदर्भ में, लक्ष्यों में इकाइयों द्वारा आरएसी/स्थापित क्षमता से अधिक प्रत्याशित उत्पादन सहित आरएसी तक 100 प्रतिशत क्षमता शामिल है। आरएसी से अधिक उत्पादन की स्थिति में, इकाइयों को दी जाने वाली राजसहायता आयात समता मूल्य और आकस्मिक प्रभारों के अधीन है। इसलिए आरएसी से अधिक उत्पादन कच्चे माल की लागत, आईपीपी आदि के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष बदलता रहता है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि कुछ इकाइयां कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि फीडस्टॉक की अनुपलब्धता, संयंत्र दुर्घटनाएं, प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाएं आदि के कारण अपने आरएसी तक भी उत्पादन करने में विफल रहती हैं। इसलिए, यूरिया का वास्तविक उत्पादन आमतौर पर लक्ष्य से कम रहता है। इसके अतिरिक्त, 2021-22 के दौरान लक्ष्य में सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर इकाइयों को दिया गया लक्ष्य भी शामिल है, जो 2021-22 के दौरान उत्पादन शुरू नहीं कर सकीं। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक्स को अपनी 100 प्रतिशत वार्षिक क्षमता पर लक्ष्य दिया गया था। तथापि, सितंबर, 2021 में गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी मिलने के बाद ही मैट्रिक्स उत्पादन शुरू कर सका और लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। इसी तरह, आरएफसीएल-रामागुंडम को लक्ष्य दिया गया था लेकिन यह केवल 3.83 एलएमटी यूरिया का उत्पादन कर सका क्योंकि संयंत्र स्थिरीकरण(स्टेबिलाइजेशन) के अंतर्गत था।

4.4 संयंत्रों को उर्वरकों के कच्चे माल (यूरिया और पीएंडके उर्वरक दोनों) की उपलब्धता को सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित प्रयासों के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा गया ताकि उनकी कमी के कारण वे बंद न हो जाएं, विभाग ने बताया कि जहां तक *पीएंडके* उर्वरकों का संबंध है, देश तैयार उत्पादों अथवा इसके कच्चे माल के रूप में पोटाशयुक्त क्षेत्र में पूरी तरह से और फास्फेटयुक्त क्षेत्र में 90 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है। राजसहायता निर्धारित होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में किसी भी उतार-चढ़ाव का पीएंडके उर्वरकों की घरेलू मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। देश में कच्चे माल (अथवा संभवत तैयार पी एण्ड के उर्वरकों) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों में एनबीएस स्कीम के अंतर्गत शीरे (पीडीएम) से प्राप्त पोटाश को शामिल करना और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), जो स्वदेशी रूप से निर्मित है और डीएपी का अच्छा प्रतिस्थापक भी है, को मालभाड़ा राजसहायता में शामिल करना। इसके अतिरिक्त, तैयार पी एण्ड के उर्वरकों के साथ-साथ इसके कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण पी एण्ड के उर्वरकों के बढ़े हुए मूल्यों के दबाव को सहन करने के लिए सरकार ने एनबीएस स्कीम के अंतर्गत राजसहायता में बार-बार वृद्धि की है। भारत में फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए कच्चे माल के लिए खनिजों के अन्वेषण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय उर्वरक कंपनियों और

अन्य देशों की उर्वरक कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापनों के माध्यम से कच्चे माल/तैयार उर्वरकों के लिए दीर्घकालिक करारों और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाया जा रहा है। इनसे कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के मूल्यों को कम करने में भी मदद मिली है जिससे देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत हुई है

4.5 जहां तक देश में यूरिया और पीएंडके उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित/बढ़ाने के लिए 2023-24 के दौरान उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के संबंध में यह उत्तर दिया गया है कि यूरिया की उत्पादन लागत का प्रमुख घटक प्राकृतिक गैस है। यूरिया की उत्पादन लागत का प्रमुख घटक प्राकृतिक गैस है। यूरिया उत्पादन की लागत का लगभग 85-90% गैस लागत के कारण होता है। यूरिया राजसहायता की गणना में प्राकृतिक गैस की लागत एक पास-थ्रू मद है। इसलिए, गैस की लागत में किसी भी वृद्धि का सीधा असर सरकार के राजसहायता पर होने वाले व्यय पर पड़ता है। उर्वरक विभाग ने सभी यूरिया विनिर्माण इकाइयों को आरएलएनजी सहित प्राकृतिक गैस के दीर्घकालिक स्रोतों का पता लगाने के लिए परामर्श जारी किया है। मध्यावधि प्राकृतिक गैस के स्रोतों का पता लगाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एमओपीएंडएनजी के परामर्श से, ईपीएमसी गैस खरीद व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुधार किये गए हैं जिनमें मासिक निविदा, एल-1 मूल्य का मिलान, गारंटीशुदा ऑफ-टेक आदि शामिल हैं, जिसके कारण यह उम्मीद की जाती है कि यूरिया इकाइयों की मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईपीएमसी के माध्यम से आरएलएनजी गैस की आपूर्ति को अधिक उचित मूल्य पर पूरा किया जायेगा।

4.6 समिति को बताया गया है कि तैयार पी एण्ड के उर्वरकों और उत्पादन के लिए इसके कच्चे माल के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय मूल्य को देखते हुए, सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए बाजार में पीएंडके उर्वरकों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराए। सरकार अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में इस वृद्धि पर कड़ी नजर रखती है और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि तथा किसानों के लिए पीएण्डके उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर एनबीएस दरों को अधिसूचित किया है।

4.7 इस संदर्भ में, यह पूछे जाने पर कि विभाग निरंतर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और उर्वरकों और इसके कच्चे माल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों के संबंध में एनबीएस दरों को और कैसे संशोधित करने की योजना बना रहा है, सरकार ने 2021-22 और 2022-23 के लिए दो फसली मौसमों अर्थात् खरीफ और रबी मौसम के लिए एनबीएस दरों को अर्द्ध-वार्षिक रूप से निर्धारित किया है। तैयार पीएण्डके उर्वरकों के साथ-साथ इसके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय मूल्यों सहित अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुए ये दरें निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार, तैयार पीएण्डके

उर्वरकों के साथ-साथ इसके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में निरंतर या उच्च वृद्धि के मामले में एनबीएस दरों को संशोधित करने की आवश्यकता पर विचार किया जाता है। तथापि, तैयार पीएण्डके उर्वरकों के साथ-साथ इसके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में भी अब गिरावट का रुझान दिखाई दे रहा है।

4.8 साक्ष्य के दौरान, उर्वरक के मूल्यों पर यूक्रेन युद्ध जारी रखने के प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर, डीओएफ के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

*“महोदय, युद्ध जारी है, किंतु हमारी यही स्थिति है। हमने ईपीएमसी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं जिसकी वजह से हम पैसे बचाने में सफल रहे हैं। We हमने गैस आपूर्तिकर्ताओं को बहुत दृढ़ संकेत दिया है कि केवल इसलिए कि हम उर्वरक क्षेत्र हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी मूल्य पर गैस लेंगे। आप हमें हल्के में नहीं ले सकते। ह संदेश बाहर चला गया, और हम पैसे बचाने में सफल रहे। जो कंपनियां पहले एच1 हुआ करती थीं, जब हमने एच-1 प्राइस पर खरीदने से मना कर दिया था, वे अब नीचे के लेवल पर आ गई हैं। इस वर्ष यूरिया का कुल व्यय लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। लेकिन चूंकि गैस के मूल्य कम हो रहे हैं, इसलिए स्वदेशी यूरिया उत्पादन बिल बुक कम हो जाएगी। यह एक बात है।*

*दूसरी बात यह है कि यूरिया का अंतरराष्ट्रीय मूल्य जो एक समय लगभग 1000 डॉलर तक पहुंच गया था, कल लगभग 370 डॉलर था। इसका एक कारण यह है कि हम कम आयात कर रहे हैं। यदि आप विश्व में यूरिया बाजार को देखें तो कुल उत्पादन लगभग 180 एमएमटी है। इसमें से लगभग 55 एमएमटी का व्यापार किया जाता है, जो 550 लाख मीट्रिक टन है। भारत कुल का लगभग 1/5 हिस्सा आयात करता था। इस वर्ष अब तक हमने केवल 71 का आयात किया है। इसलिए नैनो यूरिया और पीएम प्रणाम जैसी अन्य योजनाओं के कारण, जो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, आयात और कम हो जाएगा।*

*अब नैनो यूरिया के तीन संयंत्र पहले से ही चालू हैं। वे प्रति वर्ष लगभग 17 करोड़ बोतलों का उत्पादन करने जा रहे हैं। यह 75 लाख मीट्रिक टन यूरिया के बराबर है। नैनो यूरिया और अन्य हस्तक्षेपों के कारण आवश्यक मात्रा कम हो जाएगी। आयात और भी कम हो जाएगा। अब जब हम कम आयात कर रहे हैं, तो मूल्य पर दबाव और भी अधिक है। अतः आयातित यूरिया पर पर्याप्त बचत हुई है। यह काफी कम हो गया है।*



समग्र यूरिया बजट के बारे में हमें बचत की उम्मीद है। इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 1.1 से 1.2 लाख करोड़ रुपये एक उचित अनुमान होगा। बेशक, अगर गैस के मूल्य फिर से बढ़ते हैं और चीजें बदलती हैं, तो बदलाव होगा।”

4.9 पीएंडके उर्वरकों के आयात पर, डीओएफ के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

“पीएंडके उर्वरक के मोर्चे पर डीएपी के मूल्यों में कमी जारी है। वे \$ 900 प्रति टन को पार कर गए थे। अब वे \$ 640 प्रति टन पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे और नीचे आएं। इसी तरह, एमओपी पिछले वर्ष 590 डॉलर प्रति टन था। इस वर्ष हम उम्मीद करते हैं कि यह \$ 500 प्रति टन से नीचे आ जाएगा। अतः, सभी फॉस्फोरिक और पोटेशियुक्त उर्वरकों के मूल्य में दक्षिण की ओर गति होती है। इस वर्ष हमने जो कुल बजट खर्च किया है वह 90,000 करोड़ रुपये के दायरे में है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यह वास्तव में अगले वर्ष 60-70 हजार करोड़ रुपये तक कम हो सकता है।”

#### **पांच. उर्वरक राजसहायता योजनाएं**

5.1 उर्वरक राजसहायता योजनाओं के संबंध में, विभाग ने सूचित किया है कि मूल रूप से, दो उर्वरक राजसहायता योजनाएं हैं; पहली यूरिया राजसहायता योजना, जहां मूल्य निर्धारित किया जाता है और राजसहायता कारखानों की उत्पादन लागत के अनुसार परिवर्तनीय होती है। दूसरा, पोषकत्व आधारित राजसहायता योजना जो पी एण्ड के उर्वरकों नामतः डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी के लिए कार्य करती है। ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत, आयात किया जाता है और मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। राजसहायता केवल पोषक तत्व सामग्री पर आधारित है जो प्रत्येक उर्वरक में है

5.2 2025-26 तक यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उर्वरक इकाइयों की वार्षिक मांग और उत्पादन क्षमता का विवरण देते हुए वर्ष-वार रोडमैप मांगे जाने पर, विभाग ने बताया कि भारत सरकार ने 12.7 एलएमटीपीए प्रत्येक की क्षमता के नए अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करके फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल) की रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और तलचर (ओडिशा) इकाइयों और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) इकाई का पुनरुद्धार अधिदेशित किया है। रामागुंडम और गोरखपुर इकाइयां क्रमशः 22.03.2021 और 07.12.2021 को चालू हुईं, जबकि बरौनी और सिंदरी इकाइयों ने भी क्रमशः 18.10.2022 और 05.11.2022 को यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया। तलचर संयंत्र के सितंबर, 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। उर्वरक विभाग का अधिदेश राज्य सरकार के

परामर्श से कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएंडएफडब्ल्यू) द्वारा आकलित की गई आवश्यकता के आधार पर राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त/सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

5.3 समिति को आगे अवगत कराया गया है कि वर्ष 1987-88 से शुरू होने वाले विभिन्न नीतिगत उपायों और एनयूपी-2015 के कारण, यूरिया इकाइयों द्वारा ऊर्जा की खपत 1987-88 के दौरान 8.87 जीकैल/एमटी से घटकर 2021-22 के दौरान 5.82 जीकैल/एमटी हो गई है। एनयूपी-2015 से इकाइयों में ऊर्जा दक्षता आई है, जिसके कारण 1 जून 2015 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान राजसहायता व्यय में लगभग 8851.59 करोड़ रु. की बचत हुई है। उपर्युक्त के अलावा, एनयूपी-2015 में यूरिया इकाइयों द्वारा उनकी स्वीकृत क्षमता से अधिक अर्थात् पुनर्मूल्यांकित क्षमता (आरएसी) से अधिक उत्पादन के प्रावधान की भी परिकल्पना की गई है। उक्त प्रावधान के कारण, मौजूदा इकाइयां प्रतिवर्ष अपनी आरएसी से 20-25 एलएमटी अधिक की अतिरिक्त मात्रा में यूरिया का उत्पादन कर रही हैं। इस प्रकार यूरिया का वास्तविक उत्पादन 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी के स्तर से बढ़कर 2015-16 से 240 एलएमटी प्रति वर्ष से अधिक हो गया है।

5.4 देश में चल रहे उर्वरक संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता को और बढ़ाने के लिए की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, एनयूपी -2015 के तहत शामिल 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों को उनके पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानकों के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी को एनपीएस-III के तहत उनके पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानकों के आधार पर लक्ष्य ऊर्जा मानक (टीईएन) दिए गए हैं। इनमें से 11 यूरिया विनिर्माण इकाइयां पहले ही 10 लाख यूनितें प्राप्त कर रही हैं और 10 इकाइयां ऊर्जा बचत योजनाएं (ईएसएस) कार्यान्वित कर रही हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयों ने ईएसएस के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में या तो पूरा कर लिया है और उसके बाद उनकी वास्तविक ऊर्जा खपत में कमी आई है। हालांकि, 4 इकाइयों ने अभी तक कोई ईएसएस लागू नहीं किया है और 3 इकाइयां ऊर्जा के मिश्रण के रूप में कोयले का उपयोग करती हैं। इन इकाइयों के लिए संशोधित टीईएन निर्धारित करने का एक प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है।

5.5 यूरिया विनिर्माण इकाइयों के संबंध में लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों को निर्धारित करने के अलावा उर्वरक विभाग द्वारा समय पर लक्ष्य ऊर्जा मानकों को प्राप्त करने के लिए इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए एनयूपी-2015 के तहत संशोधित ऊर्जा मानक समय-समय पर बढ़ाए गए थे ताकि उक्त बढ़ाई गई अवधि के दौरान इकाइयों द्वारा यूरिया के उत्पादन के कारण प्राप्त ऊर्जा

बचत के माध्यम से इन इकाइयों को ईएसएस परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, उर्वरक विभाग नियमित रूप से यूरिया इकाइयों की ईएसएस परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है और ईएसएस परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इकाइयों पर जोर दे रहा है।

5.6 इकाइयों में बेहतर ऊर्जा दक्षता के कारण बचत से अपने उर्वरक सार्वजनिक उपक्रमों आदि में पूंजीगत व्यय करने की भारत सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं जिससे वर्षों तक उनके प्रचालन में और तकनीकी सुधार प्राप्त किया जा सके, के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि उर्वरक विभाग कैपेक्स के लिए अपने पीएसयू को बजटीय सहायता प्रदान नहीं करता है। कैपेक्स की सभी जरूरतें पीएसयू द्वारा उनके आंतरिक संसाधनों से पूरी की जाती हैं।

5.7 समिति को बताया गया कि उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ-2022 और रबी-2022 मौसम के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), जो 100% स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक भी है, पर माल भाड़ा राजसहायता को प्रायोगिक आधार पर अनुमोदित किया गया है। परिणामों के आधार पर, एसएसपी पर मालभाड़ा राजसहायता की आगे की आवश्यकता पर निर्णय लिया जा सकता है।

5.8 स्वदेशी रूप से निर्मित एसएसपी पर मालभाड़ा राजसहायता जारी रखने ताकि बड़े पैमाने पर आयात किए जाने वाले डीएपी के प्रतिस्थापन के रूप में इसे पूरे देश में किसानों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जा सके, के लिए उपर्युक्त मामले पर वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, खरीफ और रबी मौसम 2022-23 के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित एसएसपी पर प्रायोगिक आधार पर मालभाड़ा राजसहायता देने की घोषणा की गई है ताकि स्वदेशी रूप से निर्मित फास्फेटयुक्त उर्वरक एसएसपी को और बढ़ावा दिया जा सके। तदनुसार, इस विभाग ने एसएसपी उर्वरक के लिए भी आपूर्ति योजना जारी की है और आपूर्ति योजना के अनुसार मालभाड़ा बिल, प्रस्तुत किए जाने पर, एसएसपी मालभाड़ा नीति के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

### **विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मध्यावधि मूल्यांकन**

5.9 विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मध्यावधि मूल्यांकन और किए गए सुधारात्मक उपायों के संबंध में, समिति को बताया गया कि सीसीईए ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए एनबीएस योजना को मंजूरी दी है। यूरिया राजसहायता स्कीम का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया

गया है और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा स्कीम को जारी रखने के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

5.10 यूरिया राजसहायता योजना की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में यूरिया उद्योगों, किसानों और कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए यूरिया राजसहायता योजना को जारी रखने की आवश्यकता की सिफारिश की गई है। यूरिया राजसहायता योजना को 30.09.2022 के बाद भी जारी रखने के लिए स्थिति प्रस्ताव और इसके विलंब के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने सूचित किया है कि व्यय विभाग ने दिनांक 8 अप्रैल, 2022 के ओ.एम. के माध्यम से यूरिया राजसहायता योजना सहित योजनाओं को 30.09.2022 तक जारी रखने के मंत्रिमंडल के निर्णय से अवगत कराया था। इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग ने दिनांक 7 सितंबर, 2022 के ओ.एम. के जरिये सूचित किया था कि जो मंत्रालय/विभाग 30.09.2022 से पहले अपनी संबंधित स्कीमों को जारी रखने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, वे ईएफसी द्वारा मूल्यांकन किए जाने तक इन स्कीमों के तहत 30.09.2022 से आगे बजट अनुमान/संशोधित अनुमान 2022-23 की सीमा के अधधीन निधि जारी कर सकते हैं। यूरिया राजसहायता स्कीम को जारी रखने के लिए ईएफसी नोट ईएफसी के मूल्यांकन के लिए व्यय विभाग को भेजा गया था। वर्तमान में ईएफसी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

#### **छह. बजट घोषणाएं 2023-24 - प्रस्तावित नई योजनाएं और आगे की कार्रवाई**

6.1 मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करते समय उर्वरक विभाग के एक प्रतिनिधि ने समिति को बजट 2023-24 में दो नई योजनाओं की घोषणाओं के बारे में बताया, जो वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करेंगी, वे निम्नवत हैं:

*"इस वर्ष बजट घोषणा में दो कार्यक्रम हैं। पहला है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, जो पीएम-प्रणाम का संक्षिप्त नाम है। यह उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा जो जैविक उर्वरकों, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को बढ़ावा देने में शामिल हैं।....*

*दूसरी योजना है गोबरधन योजना। लेकिन यह पूरी तरह से उर्वरक विभाग से संबंधित नहीं है। यह 500 नए वेस्ट-टू-वेल्थ प्लांट स्थापित करने के बारे में है, जिनकी देखभाल पेयजल विभाग द्वारा की जाएगी"*

## पृथ्वी माता के पुनरूद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)

6.2 योजना के कार्यान्वयन और इसके प्रयोजनों, उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया है कि योजना के 2023-24 में लागू होने की संभावना है। तथापि, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अभी बाकी है। उर्वरक विभाग इस योजना के लिए प्रायोजक विभाग होगा। व्यय विभाग 2023-25 से 3 वर्षों के लिए निधियों की निगरानी करेगा। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित/सतत प्रयोग को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन जागरूकता/अभियान का समर्थन करना; आर्गेनिक/जैव और नैनो उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना; प्राकृतिक/ आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना आदि को शामिल करना है। इस स्कीम का उद्देश्य उन राज्यों को प्रोत्साहित करना है जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करते हैं और वैकल्पिक उर्वरकों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। यह प्रस्तावित किया जाता है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके बचाई गई उर्वरक राजसहायता का 50% अनुदान के रूप में उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को दिया जाएगा।

6.3 बजट में घोषित इन योजनाओं के संचालन और वित्तपोषण के तरीके को स्पष्ट करते हुए, प्रतिनिधियों ने यह भी बताया:

*“यह अगले तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित है। हम 2022-23 के अंत में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके की खपत पर गौर करेंगे। पूरी राशि की तुलना पिछले तीन वर्षों में उर्वरकों के इन सभी समूहों की औसत खपत से की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में किसी विशेष वर्ष में 38 एलएमटी खपत है, और यदि उस राज्य में पिछले तीन वर्षों की औसत खपत 40 एलएमटी थी, तो बचत 2 एलएमटी है। फिर, हम राजसहायता की गणना करते हैं और उस राजसहायता का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उस राज्य को वापस दे दिया जाएगा। जहां तक एकीकृत देश दृष्टिकोण (आईसीए) कार्यकलापों का संबंध है, उस अनुदान का उपयोग उस राज्य द्वारा अवसंरचना विकास के लिए किया जाएगा। यह अनुदान डीओई द्वारा दिया जाएगा और डीओई निधि का प्रशासन करेगा। यह योजना 2023 से 2026 तक तीन वर्ष के लिए है।*

*एक बार जब हम अनुदान दे देते हैं, तो राज्यों को 95 प्रतिशत निधियां दी जाएंगी और 5 प्रतिशत सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए डीओएफ के पास होगा, जो मृदा के स्वास्थ्य को*

बढ़ावा देने से संबंधित हैं। राज्य को दिए जाने वाले 95 प्रतिशत में से 65 प्रतिशत का उपयोग राज्य द्वारा परिसंपत्ति निर्माण में किया जाएगा। शेष 30 प्रतिशत एक असंबद्ध निधि होगी जिसका उपयोग राज्य द्वारा जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा।

हमें इसके लिए किसी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हम बचत के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी बजट दिया जाता है; शेष का उपयोग बचत से किया जाएगा। चूंकि हमारे पास दो योजनाएं यूरिया राजसहायता योजना और एनबीए योजना हैं, इसलिए इन योजनाओं से भी कुछ बचत होगी।”

6.4 यह पूछे जाने पर कि क्या उर्वरकों की कम खपत जैविक उर्वरकों या नैनो उर्वरकों के उपयोग के कारण होगी, विभाग के एक प्रतिनिधि ने बताया:

“यह दोनों के कारण है – जैविक जैव-उर्वरक खपत, और कम रासायनिक उर्वरक उपयोग और नैनो जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि तीन वर्षों के अंत में उर्वरकों की बचत 4578 एलएमटी होगी। मौद्रिक रूप में, यह लगभग 20,000 करोड़ रुपये होगा।”

6.5 योजनाओं के प्रोत्साहन और सफल संचालन के लिए राज्य सरकारों की भूमिका के महत्व के बारे में समिति को जानकारी देते हुए, विभाग ने निम्नानुसार बताया:

“महोदय, यहां मूल तर्क यह है कि उर्वरक राजसहायता पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है, जबकि विद्युत और सिंचाई राजसहायता राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। अतः उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने अथवा जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों की कोई हिस्सेदारी अथवा वास्तविक रुचि नहीं है। वास्तव में, भले ही आप किसी खेत में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, लेकिन जैविक सामग्री को बहाल करने के लिए जैविक उर्वरकों को भी जोड़ना चाहिए। राज्यों द्वारा इन बातों पर बल नहीं दिया जा रहा है।

फिर, नैनो यूरिया एक नया उत्पाद है। अतः, नैनो उर्वरक का उपयोग करते समय किसानों को शिक्षित करना, उन्हें उत्पाद के बारे में जागरूक करना और उनकी सहायता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकारों के पास ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि यदि आप यह सब करते हैं, यदि आप जैविक खाद चुनते हैं, यदि आप उर्वरकों के संतुलित

उपयोग के लिए जाते हैं, यदि आप यूरिया के अधिक उपयोग से बचते हैं, यदि आप नैनो उर्वरकों के लिए जाते हैं और इसलिए राज्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों की कुल बास्केट कम हो जाती है और इस प्रकार, भारत सरकार को बचत होती है, बचत का आधा हिस्सा कैपेक्स के लिए राज्य सरकार को इस्तेमाल करने के लिए -65 प्रतिशत और 30 प्रतिशत शर्त मुक्त दिया जाएगा ताकि रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने में उनकी रुचि हो। अंततः, पूरी वृद्धित मशीनरी राज्य के पास है और उन्हें किसानों तक पहुंचना होगा। हम अपने विभाग से ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए, यह उन्हें इस कारण में रुचि पैदा करने के लिए है।”

6.6 योजना की वर्तमान स्थिति के संबंध में, प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

“महोदय, यह योजना अभी शुरू नहीं की गई है। बजट में इसकी घोषणा की गई है। यह वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है। जब हम मंत्रिमंडल के पास जाएंगे और औपचारिक रूप से योजना की घोषणा करेंगे, तब यह चालू हो जाएगी। अभी, यह चालू नहीं है। योजना यह है कि यदि कोई राज्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करता है, तो उसे लाभ होगा। यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करता है, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें कोई दंड शामिल नहीं है।”

### **जैविक उर्वरकों, जैव उर्वरकों आदि के उत्पादन और उपयोग के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करने की योजना।**

6.7 पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान, डीओएफ ने केंद्रीय बजट में जैविक और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य घोषणाओं के बारे में सूचित किया। विभाग ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

“भारत सरकार में दो योजनाएं हैं। एक है एसएटीएटी योजना और दूसरी है गोबरधन योजना। एसएटीएटी योजना का प्रबंधन एमओपी एंड एनजी द्वारा किया जाता है जबकि गोबरधन का प्रबंधन डीडीडब्ल्यूएस और एमएनआरई द्वारा किया जाता है। एसएटीएटी कार्यक्रम संपीड़ित जैव-गैस संयंत्रों को बढ़ावा देता है जिसमें उप-उत्पाद किण्वित जैविक खाद है। गोबरधन योजना जैव-गैस संयंत्रों को बढ़ावा देती है और एफओएम उप-उत्पाद है जो जैव-खाद है। हम इस जैव-खाद का समर्थन करेंगे जो इन दो योजनाओं के अंतर्गत एक उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है। इस जैव खाद में पोषक तत्वों की मात्रा 12 किलोग्राम/एमटी और जैविक कार्बन की मात्रा लगभग 140 किलोग्राम/मीट्रिक टन होती है।”

6.8 विभाग ने लिखित रूप में बताया है कि गोबरधन योजना के तहत बायो-मास के संग्रहण और जैव-खाद के वितरण के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, जिसके लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जानी है। इसमें एसएटीएटी और "गोबरधन स्कीम" पर फोकस के साथ एफओएम/पीआरओएम/अन्य ऑर्गेनिक उर्वरकों और जैव-उर्वरकों के लिए बाजार विकास सहायता देने के लिए एक ईएफसी प्रस्ताव है। 2023 तक एसएटीएटी स्कीम के तहत 5000 कंप्रेसड बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने हैं जबकि गोबरधन स्कीम के तहत 400 बायो गैस संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। गैप फंडिंग, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आदि के रूप में 360 करोड़ रुपये की समग्र निधि है।

6.9 जहां तक गोबरधन योजना के उद्देश्यों का संबंध है, विभाग ने सूचित किया है कि गोबरधन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II का एक अभिन्न अंग है, जिसमें पशु अपशिष्ट, रसोई अपशिष्ट, फसल अवशेष और बाजार के अपशिष्ट को बायोगैस और बायोस्लरी में परिवर्तित करके गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करना शामिल है। कार्यक्रम के तहत गांवों/ब्लॉकों/जिलों में सामुदायिक और क्लस्टर मॉडल बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जा सकता है।

6.10 समिति ने देश में जैव गैस संयंत्रों की विफलता के कारणों और उनके सफल संचालन के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा। उत्तर में, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि देश में पहले चल रहे जैव-गैस संयंत्र छोटे आकार के थे और इसलिए विभिन्न कारणों से तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुराने मॉडल बायो-गैस संयंत्रों के अनुभवों में से, गोबरधन योजना को थोड़े बड़े पैमाने पर शुरू करने का प्रस्ताव है। एसएटीएटी स्कीम के अंतर्गत प्रचालनरत जैव-गैस संयंत्रों से उत्पादित गैस गैल पाइपलाइन में भेजी जाती है और इसलिए इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भूमिका शामिल होती है। गोबरधन योजना का समन्वय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। उर्वरक विभाग की भूमिका इन बायो-गैस संयंत्रों से उत्पादित जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना है।

6.11 मौखिक साक्ष्य के दौरान, विभाग के प्रतिनिधि ने आगे बताया कि यूरिया के मामले में 46 किलोग्राम प्रति टन नाइट्रोजन सामग्री के मुकाबले जैविक खाद की नाइट्रोजन सामग्री 12 किलोग्राम प्रति टन है। इस प्रकार, जैविक खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कम होने के कारण इसका उपयोग और अनुप्रयोग यूरिया की तुलना में बहुत महंगा है। रासायनिक उर्वरकों को राजसहायता दिए जाने और इसलिए किसानों द्वारा उपयोग के लिए किफायती होने के कारण जैविक उर्वरकों के उपयोग के लिए समान अवसर बाधित हैं। इसलिए सरकार किसानों को बाजार विकास सहायता प्रदान करके उनके



उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए गोबरधन और एसएटीएटी स्कीमें शुरू करने पर विचार कर रही है।

6.12 यह पूछे जाने पर कि क्या तीन वर्षों में 400 जैव-गैस संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव एक वास्तविक अनुमान है, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि जैव-गैस संयंत्रों की संख्या में वृद्धि होगी। जैव खाद के निपटान के संबंध में बाधाओं को दूर करने के लिए, विभाग उर्वरक कंपनियों की भागीदारी के साथ जैव खाद के विपणन को बढ़ावा दे रहा है जिसके परिणामस्वरूप एसएटीएटी इकाइयों की संख्या में वृद्धि होगी।

6.13 जब समिति ने केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए उनकी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया, तो विभाग ने सकारात्मक उत्तर दिया।

### **सात. नवोन्मेषी/वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना**

#### **क. नए फोर्टिफाइड यूरिया संयोजन - सल्फर लेपित यूरिया (एससीयू) और एकल सुपर फॉस्फेट और यूरिया (एसएसपी + यूरिया) का संयोजन**

7.1 समिति को सूचित किया गया है कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने की पहल के भाग के रूप में सरकार देश में दो नए फोर्टिफाइड यूरिया संयोजनों का उपयोग करने पर विचार कर रही है। पहला सल्फर लेपित यूरिया (एस -17% और एन -37%) जिसे यूरिया गोल्ड भी कहा जाता है और दूसरा सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया (एसएसपी + यूरिया) का संयोजन है जिसका उपयोग डीएपी के स्थान पर किया जाता है। भाकृअनुप द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सल्फर लेपित यूरिया (एससीयू) के उपयोग से यूरिया की खपत में 25% की कमी आती है।

7.2 इस संदर्भ में साक्ष्य के दौरान, रक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि ने आगे बताया कि सल्फर लेपित यूरिया को अन्य बातों के साथ-साथ बाजार में प्रीमियम यूरिया के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। मृदा में सल्फर की मात्रा की अधिकतर कमी होती है। इसके मूल रूप से दो फायदे हैं; पहला इसकी धीमी गति से रिलीज तंत्र है और दूसरा, यह नाइट्रोजन सोखना दक्षता को 40% तक बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, यह पौधे की वृद्धि / गुणवत्ता और बीजों, विशेष रूप से तिलहन की उपज में सुधार करता है। इसके पीले-सुनहरे रंग के कारण इसे यूरिया गोल्ड कहा जा रहा है। इसलिए, विभाग 40 किलो का बोरी शुरू करने पर विचार कर रहा है जो यूरिया के 45 किलो बोरी के बराबर हो सकता है

7.3 जब सल्फर लेपित यूरिया (एससी) के मूल्य और क्या इसके लिए भी राजसहायता प्रदान की जाएगी, के बारे में पूछा गया तो विभाग के एक प्रतिनिधि ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया कि सल्फर लेपित यूरिया के मूल्य पर मंत्रिमंडल द्वारा अभिनिर्णय नहीं लिया गया है। यूरिया की एक बोरी का वास्तविक मूल्य 2000 रुपये से अधिक है किंतु यह केवल 266 रुपये में ही बेचा जा रहा है। सल्फर लेपित यूरिया पर संभवतः राजसहायता प्रदान की जाएगी और अधिक संभावना है कि 40 किग्रा. वाली यूरिया गोल्ड की एक बोरी 400-500 रुपये के बीच बेची जाएगी।

7.4 समिति ने जब यह पूछा कि क्या सल्फर लेपित यूरिया का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। विभाग ने उत्तर में सूचित किया है कि कृषि संबंधी सभी प्रकार के यूरिया औद्योगिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित हैं तथापि आईसीएआर द्वारा बताए गए अनुसार सल्फर लेपित यूरिया का उपयोग तकनीकी रूप से उद्योगों में नहीं किया जा सकता।

7.5 जब उर्वरक विनिर्माताओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से देश में सल्फर लेपित यूरिया और एसएसपी+यूरिया के संयोजन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, इसके उपयोग के संबंध में किए गए क्षेत्र परीक्षणों/अनुसंधानों के परिणाम और इसके उपयोग द्वारा फसल की गुणवत्ता के बारे में पूछा गया तो विभाग ने बताया है कि सल्फर-लेपित यूरिया (एससीयू) मूल रूप से टेनेसी वैली अथॉरिटी प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 30 वर्षों के लिए व्यावसायिक रूप से निर्मित किया गया था। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने एफसीओ, 1985 के विनिर्देशों के साथ इन-हाउस प्रयोगशाला स्केल एससीयू का उत्पादन किया है। चूंकि आरसीएफ द्वारा प्रायोगिक स्केल संयंत्र/वाणिज्यिक उत्पादन अभी स्थापित किया जाना है और परिणाम अभी देखे जाने बाकी हैं। आज की तारीख में अन्य उर्वरक विनिर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह विभाग प्रौद्योगिकी अंतरण की प्रक्रिया में सहायता/समन्वय कर सकता है। आरसीएफ द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययन प्रयोगशाला स्तर पर हैं। आरसीएफ द्वारा एससीयू का खेतों पर परीक्षण (फील्ड ट्रायल) किया जा रहा है।

#### **ख. नैनो यूरिया की बिक्री को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता**

7.6 साक्ष्य के दौरान समिति ने मानव स्वास्थ्य, मृदा और पर्यावरण पर रसायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों पर अपनी व्यक्त की। इसपर विभाग ने कहा कि किसान यूरिया के उपयोग सहजता से करते हैं क्योंकि यह अत्यधिक सस्ती मूल्य पर उपलब्ध है। वास्तव में यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन की केवल 30-40 प्रतिशत मात्रा का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है, शेष मात्रा नष्ट हो जाती है और यह या तो भूजल में मिल जाती है या अमोनिया के रूप में वाष्पीकृत हो जाती है जो पर्यावरण के प्रतिकूल है।

7.7 समिति ने किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली यूरिया की मात्रा को धीरे-धीरे कम करने के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पर विभाग के एक प्रतिनिधि ने उत्तर दिया कि:

*“महोदय एक प्रस्ताव और भी था किंतु हमने इस बारे में कोई अंतिम विचार नहीं किया, वह यह कि यदि कोई किसान पांच बोरी यूरिया की मांग करे तो हम उसे नैनो यूरिया की एक बोतल और चार बोरी यूरिया दें। किंतु इसकी शिकायतें भी हो सकती हैं। ”*

7.8 नैनो यूरिया के उपयोग के सकारात्मक पक्ष को देखते हुए समिति का विचार यह था कि इस प्रस्ताव को विधिक रूप दिया जाए और इसके लिए प्रयास किए जाएं ताकि धीरे-धीरे परंपरागत यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का उपयोग हो।

## **आठ. अन्य मुद्दे**

### **उर्वरक राजसहायता के संबंध में किसानों को प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीसीटी) की शुरुआत**

8.1 यूरिया राजसहायता स्कीम की तृतीय-पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में निहित सुझावों/सिफारिशों के अनुसार चूंकि किसानों के लिए यूरिया पर राजसहायता को जारी रखने की आवश्यकता है, इसलिए यह उपयुक्त विकल्प नहीं होगा कि राजसहायता सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित की जाए क्योंकि किसानों को डीबीटी एक जटिल प्रणाली है। इस प्रकार, यह सुझाव दिया जाता है कि स्कीम के तहत विनिर्माता/आयातक कंपनियों को राजसहायता की राशि वर्तमान नीति के अनुसार दी जाए। साथ ही, विनिर्माता/आयातक कंपनियों को राजसहायता राशि जारी करने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए आवश्यक तौर-तरीके विकसित किए जाने चाहिए।

8.2 उर्वरक खरीद के संबंध में राजसहायता राशि सीधे उन किसानों, जिन्हें मुख्य लाभार्थी होना चाहिए था, के खातों में अंतरित करने की प्रणाली शुरू न किए जाने के विशिष्ट कारणों के बारे में पूछे जाने पर दूरसंचार विभाग ने कहा है कि उर्वरक राजसहायता के लिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीसीटी) शुरू करने का कार्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर शुरू किया गया है। इस संबंध में सचिव (उर्वरक) और सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) की सह-अध्यक्षता में एक नोडल समिति का गठन किया गया है जो इससे संबंधित मुद्दों की जांच करेगी। डीसीटी के कार्यान्वयन में प्राथमिक बाधा लाभार्थियों (किसानों), उनके भूमि अभिलेखों, मिट्टी के प्रकार, फसल पैटर्न, उर्वरक आवश्यकता आदि की पहचान करना रहा है। उपर्युक्त सभी सूचना राज्य सरकारों द्वारा रखी जा रही है। इस संबंध में नोडल समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा रखे गए किसानों के डाटाबेस

को डीओएफ की राजसहायता भुगतान प्रणाली के साथ मिलाया जाए ताकि किसानों को सीधे राजसहायता प्रदान की जा सके। इस संबंध में, विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों/तालुकों में प्रायोगिक आधार पर परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ राज्यों ने प्रायोगिक आधार पर परियोजना शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह मामला विभाग के सक्रिय विचाराधीन है।

8.3 किसानों को उर्वरक राजसहायता के लिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीसीटी) शुरू करने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

“महोदय, वे यह कह रहे हैं कि जब कभी भी वे चाहें वे इसे शुरू कर देंगे। कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। उनका कहना है कि वे चुनाव के पश्चात इसे प्रारंभ करेंगे। किंतु प्रायोगिक परियोजना सामान्यतः एक या दो वर्षों के लिए होगी, और उसके पश्चात हम इसकी समीक्षा करेंगे।”

अध्याय-दो  
टिप्पणियाँ और सिफारिशें

वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित और आवंटित बजटीय आवंटन

1. समिति नोट करती है कि उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए 2,99,777.52 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया था। तथापि, वित्त मंत्रालय (डीओएफ) द्वारा इस परिव्यय को 59.75% घटाकर 1,79,128.48 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विभाग की पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) योजना और यूरिया राजसहायता योजना दोनों में कटौती की गई है। विभाग ने तर्क दिया है कि वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन में कमी से सभी योजनाओं में देरी हो सकती है। एनबीएस के तहत उप-योजनाओं को सबसे अधिक नुकसान होगा क्योंकि 1,07,109 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में बजटीय आवंटन केवल 44,000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, स्वदेशी यूरिया के लिए राजसहायता के लिए 1,43,962 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में 1,04,063 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। हालांकि, विभाग राजसहायता निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध अपर्याप्त निधि को देखते हुए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करेगा, और तदनुसार वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान/अनुपूरक मांगों के समय उनकी मांग को प्रदर्शित करेगा। समिति का मत है कि बजट की अनुलंघनीयता को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए। आखिरकार, वित्तीय परिव्यय को राजसहायता निधि की आवश्यकता के अनुसार अनुमानित किया गया था और इसलिए सरकार की राजसहायता योजनाओं को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। समिति आशा करती है कि संशोधित अनुमान, 2023-24 में निधि के आवंटन में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाएगी।

गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

2. समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग की पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति और यूरिया राजसहायता नीति के लिए बजट अनुमान 1,09,186.78 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 2,28,473.62 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि, वास्तविक व्यय 1,89,135.11 करोड़ रुपये (17.01.2023 तक) रहा, जो संशोधित अनुमान राशि का 82.78% था। वर्ष 2022-23 (17.01.2023 तक) के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग के योजनावार विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश

योजनाओं के लिए उपयोग प्रतिशत 80 से 90% तक रहा। इसके अलावा, समिति वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना के लिए संशोधित अनुमान चरण में आवंटित धन के लगातार कम उपयोग को भी नोट करती है। सं.अ. 2020-21 और सं.अ., 2021-22 के क्रमशः 38989.88 करोड़ रुपये और 64192.00 करोड़ रुपये में से 37372.47 करोड़ रुपये और 52769.97 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा सका। विभाग के अनुसार, इन वर्षों के दौरान कम उपयोग का कारण वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कम बिक्री के कारण कम संख्या में बिलों की प्राप्ति; आईएफएमएस के न्यू फ्रेट मॉड्यूल में तकनीकी खराबी के कारण 237.66 करोड़ रुपये का डिजिटल फ्रेट बिल पास नहीं हो पाना; ये दावे पहली बार डिजिटल रूप से बनाए गए थे और कुछ अधूरे बिल वापस किए गए थे, जो सही नहीं थे। विभाग द्वारा बताए गए कारणों से समिति आश्चस्त नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ मामले समय पर उपाय करके हल किए जा सकते थे। तथापि, समिति आशा करती है कि विभाग अब तक उपरोक्त बाधाओं को दूर करने में सक्षम हो गया है और आश्वासन दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक आवंटित धन का इष्टतम उपयोग किया जाएगा। समिति चाहती है कि उर्वरक विभाग द्वारा अपनी सभी योजनाओं के संबंध में 2022-23 के दौरान किए गए वास्तविक व्यय के आंकड़ों से अवगत कराया जाए।

### उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

3. समिति नोट करती है कि जैसा कि उर्वरक विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया है, आरएंडडी बजट शीर्ष में अनुदान सहायता के रूप में ब.अ. 2023-24 में 0.10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह, वित्त वर्ष 2022-23 में अनुसंधान एवं विकास शीर्ष के तहत 0.10 करोड़ रुपये का सं.अ. आवंटन किया गया था और सितंबर, 2022 तक किया गया व्यय शून्य है। वर्ष 2021-22 में भी स्थिति अलग नहीं थी। समिति को बताया गया है कि अनुसंधान एवं विकास बजट शीर्ष परियोजना आधारित वित्तपोषण के लिए है और अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग अनुसंधान एजेंसियों/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। समिति आश्चर्य व्यक्त करती है कि वर्षों से अनुसंधान एजेंसियों/संगठनों द्वारा किसी भी शोध परियोजना की कल्पना नहीं की गई है और समिति इस स्थिति को खेदजनक महसूस करती है। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईसीएफएफटीआर (इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट रिसर्च) के लिए बजट शीर्ष बनाया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक और उर्वरक निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करना है और विभाग वित्त वर्ष 2023-24 में प्रथम

अनुपूरक चरण में आईसीएफएफटीआर के लिए निधि मांगेगा। इस संदर्भ में, समिति यह जानना चाहती है कि आईसीएफएफटीआर के लिए विभाग का बजट शीर्ष उनके आर एंड डी शीर्ष से कैसे भिन्न है। साथ ही, समिति ब.अ. 2023-24 में निधियों के अनुमान नहीं लगाने के कारणों को जानना चाहती है।

इसी संदर्भ में, समिति यह दोहराना चाहती है कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान, उन्होंने अनुसंधान एजेंसियों और संगठनों के उचित परामर्श से अधिक कुशल उर्वरक जिनमें नैनो उर्वरकों (यूरिया/पीएंडके/सूक्ष्म पोषक तत्व) की स्वदेशी किस्में, जैव-उर्वरक, जैविक उर्वरक, कंपोस्ट, जैव-उत्तेजक, आदि शामिल हैं, विकसित करने की दिशा में समयबद्ध अनुसंधान परियोजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया था, और आवश्यक स्तर के वित्तपोषण के लिए सिफारिश की थी। समिति खेद व्यक्त करती है कि इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। समिति आशा करती है कि कम से कम अब तो विभाग उनकी सिफारिश पर गंभीरता से विचार करेगा और तदनुसार कार्य करेगा।

#### उर्वरक उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां

4. समिति नोट करती है कि देश में प्रमुख उर्वरकों की खपत लगभग 636 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें यूरिया, एनपीके, डीएपी, एमओपी और एसएसपी शामिल हैं। देश में पिछले वर्ष तक यूरिया का उत्पादन लगभग 250 लाख मीट्रिक टन था जो अब बढ़कर लगभग 280 लाख मीट्रिक टन हो गया है। जहां तक पीएण्डके उर्वरकों का संबंध है, देश तैयार उत्पादों अथवा इसके कच्चे माल के रूप में पोटैश उर्वरक के आयात पर पूरी तरह से और 90 प्रतिशत तक फास्फेटिक उर्वरक के आयात पर निर्भर है। एनपीके, एमओपी, डीएपी, एसएसपी आदि सहित पीएण्डके उर्वरकों का घरेलू उत्पादन लगभग 185 एलएमटी है। पिछले वर्ष यूरिया का आयात लगभग 91.3 एलएमटी और पीएण्डके उर्वरकों का आयात 90.92 एलएमटी था। देश एसएसपी का आयात नहीं करता है। लेकिन एमओपी के मामले में देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पूर्वोक्त के मद्देनजर, समिति यह पाती है कि डीओएफ को देश में प्रमुख उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है। तथापि, समिति पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया के साथ-साथ पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में लक्ष्यों की कम उपलब्धि को नोट करके चिंतित है। वर्ष 2020-21 के दौरान, यूरिया के 267.08 एलएमटी और पीएण्डके उर्वरकों के 271.30 एलएमटी के लक्ष्य के मुकाबले क्रमशः 246.05 एलएमटी यूरिया और 187.63 एलएमटी पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन किया जा सका। इसी तरह, वर्ष 2021-22 के दौरान यूरिया के 280.4 एलएमटी और पीएण्डके उर्वरकों के 284.14

एलएमटी के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 250.72 एलएमटी यूरिया और 185.23 एलएमटी पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन किया जा सका। वर्ष 2022-23 के दौरान, 209.87 एलएमटी यूरिया और 186.14 एलएमटी पीएण्डके उर्वरकों के लक्ष्य की तुलना में नवंबर, वर्ष 2022 तक 187.21 एलएमटी यूरिया और 133.58 एलएमटी पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन किया गया है। लक्ष्यों में कमी के कारणों में फीडस्टॉक की अनुपलब्धता, उर्वरक संयंत्र दुर्घटनाएं, प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाएं; सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर इकाइयों द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन शुरू नहीं कर पाना, गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी में समस्या के कारण मैट्रिक्स यूनिट द्वारा उत्पादन में देरी, आरएफसीएल-रामागुंडम इकाई द्वारा कम उत्पादन आदि शामिल हैं।

समिति विभाग से बाधाओं को दूर करने के लिए सभी उपचारात्मक उपाय करने और समय-समय पर आने वाली बाधाओं को दूर करने के अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह करती है ताकि यूरिया और अन्य पीएण्डके उर्वरकों के लक्षित उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। समिति आशा करती है कि विभाग वर्ष 2023-24 के दौरान 304 एलएमटी यूरिया और 185.00 एलएमटी पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। समिति वर्ष 2022-23 के दौरान यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के आंकड़ों से अवगत रहना चाहती है।

#### कैरी-ओवर देनदारियों के संबंध में भुगतान

5. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि स्वदेशी यूरिया के संबंध में पिछले वर्षों से संबंधित अब तक कोई कैरी-ओवर देनदारी नहीं है। उर्वरक कंपनियों के राजसहायता /डीबीटी दावों का निपटान निधि की उपलब्धता के अधीन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा, आयातित यूरिया के संबंध में, कैरी-ओवर देनदारियां जो दिनांक 01.04.2022 को 869.50 करोड़ रुपये थी, उसे आज की तारीख में घटाकर 303.35 करोड़ रुपये कर दिया गया है और शेष दावे विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। समिति यह चाहती है कि समयबद्ध तरीके से पुरजोर उपाय किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित यूरिया के संबंध में कैरी-ओवर देनदारी की शेष राशि चालू वित्त वर्ष में ही समाप्त हो जाए। समिति विभाग से यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों (दोनों स्वदेशी और आयातित उर्वरकों) के संबंध में राजसहायता के भुगतान के लिए पर्याप्त आवंटन प्राप्त करने के लिए अधिक ठोस तरीके से ब.अ./सं.अ. चरण में निधि की आवश्यकता सम्बन्धी अपनी मांगों को दिखाने का आग्रह करती है ताकि समय पर राजसहायता का भुगतान किया जा सके।



### सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) पर फ्रेट राजसहायता

6. समिति नोट करती है कि सरकार ने उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ-2022 और रबी-2022 सीजन के लिए प्रायोगिक आधार पर सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) जो कि 100% स्वदेशी निर्मित उर्वरक है, पर फ्रेट राजसहायता को मंजूरी दी थी। परिणामों के आधार पर, एसएसपी पर और फ्रेट राजसहायता की आवश्यकता तय की जानी है। सरकार ने एसएसपी को बढ़ावा देने के लिए खरीफ और रबी सीजन 2022-23 के लिए भी एसएसपी पर फ्रेट राजसहायता की घोषणा की है। एसएसपी उर्वरक के लिए आपूर्ति योजना जारी की गई है और एसएसपी फ्रेट नीति के अनुसार फ्रेट बिलों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। समिति एसएसपी उर्वरकों पर प्राप्त फीडबैक और डीएपी जो कि बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है, के प्रतिस्थापन के रूप में देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता की सुविधा के लिए फ्रेट राजसहायता योजना में स्वदेशी रूप से निर्मित एसएसपी को शामिल करने के सरकार के फैसले से भी अवगत होना चाहती है।

### यूरिया राजसहायता योजना को जारी रखना

7. समिति के ध्यान में यह लाया गया है कि यूरिया राजसहायता योजना की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट ने यूरिया उद्योगों, किसानों और कृषि क्षेत्र की मदद के लिए यूरिया राजसहायता योजना (यूएसएस) को जारी रखने की आवश्यकता की सिफारिश की है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूएसएस सहित इन योजनाओं को दिनांक 30.09.2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। जैसा कि व्यय विभाग (डीओई) ने बताया था, डीओएफ ने यूएसएस को दिनांक 30.09.2022 से आगे जारी रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूएसएस को जारी रखने के लिए ईएफसी नोट ईएफसी के मूल्यांकन के लिए डीओई को भेजा गया था। ईएफसी मूल्यांकन वर्तमान में प्रगति पर बताया गया है। इस संदर्भ में, समिति स्मरण कराना चाहती है कि पिछले वर्ष अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान, वर्तमान यूरिया राजसहायता को 31 मार्च, 2022 से आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। अपनी पिछली सिफारिश को दोहराते हुए, समिति यह चाहती है कि उर्वरक विभाग को यूरिया राजसहायता योजना को जारी रखने के लिए ईएफसी अनुमोदन में तेजी लाने के लिए मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए। साथ ही, सरकार इस बात से भी अवगत है कि सरकारी राजसहायता के असमान पैटर्न के कारण मूल्य विकृतियों के परिणामस्वरूप भारतीय किसानों द्वारा उर्वरकों का उपयोग विषम हो गया है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश (4:2:1) के वांछित अनुपात को बनाए रखने के बजाय, हमारा देश काफी अधिक यूरिया का उपयोग करता है क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिणामों के साथ किसान के लिए अन्य आदानों की तुलना में

सस्ता है। नीति का एक समग्र दृष्टिकोण अब अपेक्षित है और समिति मंत्रालय से बिना किसी देरी के इसे शुरू करने का आग्रह करती है।

### उर्वरकों के उत्पादन और आयात के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता

8. यह चिंता का विषय है कि हमारा देश पोटैश उर्वरकों के लिए पूरी तरह, फास्फेटिक उर्वरकों में 90% और यूरिया के मामले में 25% तक आयात पर निर्भर है। पीएंडके उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण पीएंडके उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों के दबाव को कम करने के लिए सरकार बार-बार एनबीएस योजना के तहत राजसहायता में वृद्धि करती है। कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों को कम करने के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और अन्य देशों की उर्वरक कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापनों के माध्यम से कच्चे माल/तैयार उर्वरकों के लिए दीर्घकालिक समझौते और संयुक्त उद्यम की सुविधा दी जा रही है जिससे देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस की लागत में वृद्धि, जो यूरिया उत्पादन की लागत का लगभग 85-90% है, का सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसलिए, उर्वरक विभाग ने सभी यूरिया विनिर्माण इकाइयों को आरएलएनजी सहित प्राकृतिक गैस के दीर्घकालिक और मध्यावधि स्रोतों का पता लगाने के लिए परामर्शिका जारी की है। एक विदेशी कंपनी से 03 वर्ष की अवधि के लिए सालाना 10 एलएमटी यूरिया आयात करने के लिए एक यूरिया ऑफ-टेक समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। साथ ही, भारत में पीएंडके उर्वरकों के लिए कच्चे माल के लिए खनिजों की खोज के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया और पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों की सराहना करते हुए, समिति ने विभाग से अपने प्रयासों को तेज करने और इस दिशा में अन्य नवीन उपायों का भी पता लगाने का आह्वान किया। पुनर्खरीद समझौतों और उर्वरक खानों के अधिग्रहण आदि के साथ उत्पादन सुविधाओं के लिए उर्वरक संबंधी कच्चे माल की प्रचुर मात्रा वाले देशों के साथ विदेशों में संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने की व्यवहार्यता का भी पता लगाया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत में उतार-चढ़ाव के दबाव के बिना उर्वरकों और उसके कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके।

## नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल

9. केवल 30-40% यूरिया में नाइट्रोजन का वास्तव में संयंत्र द्वारा उपयोग किया जाता है, बाकी बर्बाद हो जाता है और भूजल तक पहुंचता है या अमोनिया के रूप में वाष्पित हो जाता है जो एक पर्यावरणीय खतरा है। हालांकि, किसान यूरिया का उपयोग करने के लिए लालायित हैं क्योंकि सरकार द्वारा राजसहायता के परिणामस्वरूप यह बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। समिति नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विभाग के आशावादिता को समझती है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पांच (05) बोरी यूरिया की खरीद पर, किसान को नैनो यूरिया की एक बोतल और यूरिया की चार बोरी बेची जा सकती हैं। समिति को बताया गया है कि उक्त प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया है। पारंपरिक यूरिया के उपयोग की तुलना में मानव स्वास्थ्य, मिट्टी और पर्यावरण पर नैनो यूरिया के कई लाभों को ध्यान में रखते हुए और किसानों द्वारा नैनो यूरिया के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, अतः समिति विभाग से आग्रह करती है कि नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पारंपरिक यूरिया की 4 बोरी खरीदने पर नैनो यूरिया की एक बोतल अनिवार्य रूप से बेचने के प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर पुनर्विचार करें।

## उर्वरक राजसहायता के लिए किसानों को प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीसीटी) का प्रावधान

10. समिति नोट करती है कि यूरिया राजसहायता योजना की तृतीय-पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सुझावों/सिफारिशों के अनुसार, किसानों के लिए यूरिया पर राजसहायता जारी रखने की आवश्यकता है, इसलिए यह उपयुक्त विकल्प नहीं होगा कि राजसहायता को सीधे किसानों के खाते में अंतरित किया जा सके चूंकि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एक जटिल प्रणाली है और इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि योजना के तहत, वर्तमान नीति के अनुसार निर्माण/आयात करने वाली कंपनियों को राजसहायता राशि दी जानी चाहिए। समिति की सुविचारित राय यह है कि वर्तमान यूरिया सब्सिडी स्कीम को इस प्रकार जारी रखा जाए जिससे कि यह किसानों के लिए कम-से-कम असुविधाजनक हो।

11. समिति यह बात नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने सरकार में विभिन्न स्तरों पर डीसीटी उर्वरक राजसहायता की शुरुआत की है। इससे संबंधित मुद्दों की जांच के लिए सचिव (उर्वरक) और सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) की सह-अध्यक्षता में एक नोडल समिति गठित की

गई है। डीसीटी के कार्यान्वयन में प्राथमिक अड़चन लाभार्थियों (किसानों) की पहचान, उनके भूमि रिकॉर्ड, मिट्टी के प्रकार, फसल के पैटर्न, उर्वरक की आवश्यकता आदि से संबंधित है, क्योंकि ऐसी सभी जानकारी राज्य सरकारों द्वारा रखी जा रही है। किसानों को सीधे राजसहायता प्रदान करने और विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों / तालुकों में प्रायोगिक आधार पर परियोजना शुरू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए किसानों के डेटाबेस को डीओएफ की राजसहायता भुगतान प्रणाली के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया है। कुछ राज्यों ने इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है। पूर्वोक्त के मद्देनजर, समिति चाहती है कि विभाग को किसानों/उत्पादकों को उर्वरक राजसहायता के प्रत्यक्ष-नकद अंतरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय में प्रायोगिक परियोजना शुरू करनी चाहिए। समिति यह चाहती है कि उसे इस मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

पीएम-प्रणाम- जैविक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों आदि को बढ़ावा देना।

12. सरकार ने बजट 2023-24 में पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम(पीएम-प्रणाम) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के संतुलित/औसत उपयोग को बढ़ावा देकर पृथ्वी माता की उर्वरता को बहाल करना; जैविक/जैव और नैनो उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना; प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा देना; आदि हैं जिससे इस प्रकार से मिट्टी, मानव स्वास्थ्य, भूजल और पर्यावरण का संरक्षण होगा। योजना, जो अभी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है, का उद्देश्य उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है जो जैविक उर्वरकों, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने में शामिल हैं। समिति पूरे देश में किसानों द्वारा उर्वरकों का संतुलित उपयोग किए जाने को बढ़ावा देने के सरकार के विचार का समर्थन करती है। समिति को विश्वास है कि पीएम-प्रणाम योजना, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के अधीन अपने निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगी। समिति विभाग पर बल देती है कि वह योजना की स्थिति का पता लगाने हेतु वित्त मंत्रालय को पत्र लिखे और इस बारे में उसे अवगत कराए।

नवोन्मेषी/वैकल्पिक उर्वरकों की शुरूआत के लिए की गई पहलें

13. समिति इस बात की सराहना करती है कि सरकार, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने की अपनी पहल के रूप में, देश में दो नए फोर्टिफाइड यूरिया संयोजनों जैसे (i) सल्फर कोटेड यूरिया (एससीयू) जिसे यूरिया गोल्ड भी कहा जाता है और (ii) सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया (एसएसपी+यूरिया) के संयोजन जो डीएपी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, के

उपयोग पर विचार कर रही है। आईसीएआर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, एससीयू के उपयोग से यूरिया की खपत में 25% की कमी आती है और इसलिए 40 किलोग्राम की बोरी में एससीयू को प्रीमियम यूरिया के रूप में बाजार में लाने का प्रस्ताव है जो मिट्टी में सल्फर की कमी को भी पूरा करेगा। इसके दो मुख्य लाभ इसका धीमा रिलीज तंत्र और नाइट्रोजन सोखने की क्षमता में 40% की वृद्धि है। यह पौधों के विकास/गुणवत्ता और बीजों, विशेषकर तिलहनों की उपज को भी बढ़ाता है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने एफसीओ, 1985 के विनिर्देशों के साथ इन-हाउस प्रयोगशाला स्केल एससीयू का उत्पादन किया है। आरसीएफ द्वारा पायलट स्केल प्लांट/वाणिज्यिक उत्पादन अभी तक स्थापित नहीं किया गया है और परिणाम अभी देखे जाने हैं। आरसीएफ द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययन प्रयोगशाला स्तर पर हैं। आरसीएफ द्वारा एससीयू का क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। एससीयू और (एसएसपी+यूरिया) के कई लाभों को ध्यान में रखते हुए, समिति यह आशा करती है कि विभाग/आरसीएफ (एसएसपी+यूरिया) और एससीयू के संबंध में क्षेत्र परीक्षणों में तेजी लाएगा और जल्द ही उनका प्रायोगिक पैमाने पर संयंत्र/वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगा। समिति चाहती है कि उसे एससीयू और (एसएसपी+यूरिया) के संबंध में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराया जाए।

### जैविक खाद, कम्पोस्ट आदि के उत्पादन और उपयोग के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करने की योजना

14. सरकार ने बजट 2023-24 में जैविक खाद, कम्पोस्ट आदि को बढ़ावा देने के लिए सतत और गोबरधन योजनाओं की घोषणा की है। हालांकि सतत योजना का प्रबंधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) द्वारा किया जाता है, गोबरधन योजना का प्रबंधन पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा किया जाता है। सतत कार्यक्रम संपीडित बायो-गैस संयंत्रों को बढ़ावा देता है जिसमें उपोत्पाद किण्वित जैविक खाद (एफओएम) है। गोबरधन योजना बायो-गैस संयंत्रों को बढ़ावा देती है और एफओएम उप-उत्पाद है जो जैव-खाद है। उर्वरक विभाग इन दोनों योजनाओं के तहत उत्पादित जैव-खाद को उप-उत्पाद के रूप में उपयोग को बढ़ावा देगा। एफओएम/पीआरओएम/अन्य जैविक उर्वरकों और जैव-उर्वरकों के लिए सतत और "गोबरधन योजना" पर ध्यान देने के साथ बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए एक ईएफसी प्रस्ताव है। वर्ष 2023 तक सतत योजना के तहत 5000 संपीडित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने हैं जबकि गोबरधन योजना के तहत 400 बायो गैस संयंत्र स्थापित किए जाने

हैं। समिति यह चाहती है कि उसे समय-समय पर इस मामले पर अद्यतन जानकारी से अवगत कराया जाए।

15. विभिन्न तकनीकी कारणों से देश में चल रहे बायोगैस संयंत्रों की कथित विफलताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए और इस तथ्य की ओर भी कि जैविक खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कम होने के कारण इसका उपयोग और अनुप्रयोग यूरिया जो कि रियायती दरों पर उपलब्ध है, की तुलना में बहुत महंगा है, समिति की हार्दिक इच्छा है कि दो योजनाओं को अनुमोदित करते समय, सरकार संयंत्रों से उत्पादित जैव-खाद, कंपोस्ट आदि के उत्पादन और बिक्री के लिए उपयुक्त बाजार विकास सहायता देने पर विचार करे ताकि इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वे किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। इसके अलावा, उर्वरक कंपनियों और एजेंसियों को किसानों द्वारा जैविक खाद की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समिति मंत्रालय से बायो-गैस संयंत्रों के रखरखाव के लिए गांव/ब्लॉक/जिला स्तर पर प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके प्रभावी और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय निगरानी एजेंसी के गठन के लिए ठोस उपाय करने का भी आग्रह करती है।

नई दिल्ली;  
.... मार्च, 2023  
..... फाल्गुन, 1944 (शक)

डॉ. शशि थरूर  
सभापति,  
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

**उर्वरक संयंत्रों के नाम और उत्पादन में कमी के कारण**

संयंत्र/इकाई का नाम	21-2020 के दौरान यूरिया के कम उत्पादन के कारण
एनएफएल: नंगल	17.01.2021 से जीटीजी हुक अप और विभिन्न वार्षिक रखरखाव कार्यों के लिए 14 दिनों के बंद के कारण।
एनएफएल:विजयपुर-I	कम उत्पादन मुख्य रूप से ईएसपी-II स्कीमों के आंशिक कार्यान्वयन और विभिन्न वार्षिक टर्न अराउंड कार्यों के लिए 08.09.2020 से 12.10.2020 तक किए गए बंद के कारण हुआ।
आरसीएफ:ट्रॉम्बे-V	अमोनिया संयंत्र के बंद होने के कारण कच्चे माल (सीओ2) की सीमा के चलते 4 फरवरी से 11 फरवरी 2020 के दौरान संयंत्र बंद रहा।
आरसीएफ: थल	विभिन्न ऊर्जा बचत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए थल यूरिया 21 (30 सितंबर से 7 नवंबर 2018 तक) और 31 यूनिट (28 सितंबर से 2 नवंबर 2018 तक) को बंद किया गया। वार्षिक टर्नअराउंड कार्यों के लिए थल यूरिया (23 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2018 तक) का बंद किया गया। बहुस्तरीय यूरिया रिएक्टर के आउटर शेल कोर्स की गड़बड़ी के कारण 12 नवंबर 2018 से 7 दिसंबर 2018 तक यूरिया 31 बंद रहा।
एमएफएल: चेन्नई	यूरिया और अमोनिया संयंत्रों ने 30 मार्च और 27 जुलाई, 2019 के बीच बॉयलरों के वार्षिक सांविधिक निरीक्षण, वार्षिक टर्नअराउंड रखरखाव, फ्रीड स्टॉक परिवर्तन और नेफ्था से आरएलएनजी में स्थिरीकरण जैसे कार्यों को करने के लिए बंद रखा।
बीवीएफसीएल: नामरूप-II	पर्याप्त फीडस्टॉक उपलब्ध नहीं होने के कारण यूरिया संयंत्र को ऑन स्टीम ही संचालित किया जा रहा है। 17.05.2019 और 06.01.2020 को संयंत्रों को दो बड़ी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। सिंथेसिस गैस बॉयलर की गैस आउटलेट लाइन से बीएफडब्ल्यू प्रीहीटर से हॉट एक्सचेंजर तक प्रोसेस बंद होने के कारण भी संयंत्र 18.05.2019 से 08.09.2019 तक लगभग 113 दिनों तक बंद रहा। अमोनिया सिंथेसिस रिएक्टर इनलेट में जाने वाली उच्च दबाव सिंथेसिस मिक्स गैस ले जाने वाली एक पाइपलाइन के फट जाने के कारण अमोनिया सिंथेसिस सेक्शन में 06.01.2020 को दूसरी गड़बड़ी के कारण संयंत्र आज तक बंद है।
बीवीएफसीएल: नामरूप-III	रखरखाव कार्यों के कारण कम उत्पादन
जेडआईएल: गोवा	कच्चे माल की कमी के कारण बंद रखा गया।
मैटिक्स ग्रुप कार्पोरेशन	आवश्यक फीड स्टॉक की कमी के कारण, संयंत्र 15 नवंबर 2017 से बंद है।

संयंत्र/इकाई का नाम	पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में 2020-21 के दौरान कम उत्पादन के कारण
जीएसएफसी: सिक्का	विपणन बाधा के कारण।
जेडएसीएल	संयंत्र नियोजित बंद के तहत रहा।
जीएफएल: तूतीकोरिन	वार्षिक टर्नअराउंड/कच्चे माल की कमी।
एमसीएफ: मैंगलोर	फॉस्फोरिक एसिड का स्टॉक अप्रैल 2020 के दौरान समाप्त हो गया। ड्रायर के रखरखाव के लिए संयंत्र बंद कर दिया गया (कोविड-19 के कारण अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक फिर से शेड्यूल किया गया)। मार्च 2021 के दौरान अमोनिया का स्टॉक समाप्त हो गया।
पीपीएल: पारादीप	भंडारण स्थान का सीमित होना। कोविड -19 लॉकडाउन के कारण एक ट्रेन के सुधार में देरी हुई। रेकों की अनुपलब्धता। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जनशक्ति की कमी के कारण उर्वरकों की कम बैगिंग और लोडिंग। कच्चे माल (एनएच3 और पी2ओ5) की कमी।
आरसीएफ	कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 9 अप्रैल, 2020 तक संयंत्र बंद रहा। अप्रैल, मई और जून 2020 के महीने में शेष अवधि के लिए, रेक और मानव शक्ति की उपलब्धता (कोविड 19 की समस्या के कारण) को देखते हुए संयंत्र को इष्टतम लोड पर संचालित किया गया था। मार्च 2021 में, संयंत्र को कम लोड पर संचालित किया गया था और बाद में कच्चे माल (एमएपी) के सीमित होने के कारण 09 से 16 मार्च 2021 तक बंद रहा।
एमएफएल	एनपीके का उत्पादन कम है क्योंकि संयंत्र अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक और 2020 के दौरान कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कच्चे माल की कमी के चलते बंद था।
जीएसएफसी	विपणन बाधा के कारण। स्टॉक अधिक होने के कारण संयंत्र कम लोड में था।
जेडएसीएल	कच्चे माल की कमी (निधि की कमी)।
जीएफएल: तूतीकोरिन	वार्षिक टर्नअराउंड/कच्चे माल की कमी।
एमसीएफ: मैंगलोर	ड्रायर मेंटेनेंस के लिए संयंत्र बंद कर दिया गया (कोविड-19 के कारण अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक फिर से शेड्यूल किया गया)।

संयंत्र/इकाई का नाम	यूरिया के संबंध में 2021-22 के दौरान कम उत्पादन के कारण
	<b>यूरिया</b>
आरसीएफ-थल	कार्बामेट कंडेन्सर (ई-5) के सांविधिक आईबीआर निरीक्षण के लिए यूरिया की एक स्ट्रीम



	<p>(यूरिया-31) के बंद होने के कारण संयंत्र कम लोड पर (02 से 11 अप्रैल 2021 तक) संचालित किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अमोनिया संयंत्र से सीमित कच्चे माल (सीओ2) के कारण संयंत्र को 30 अप्रैल से 01 मई 2021 तक और 15 से 19 जून 2021 तक कम लोड पर संचालित किया गया था।</li> <li>• क्रमशः 22 और 23 जुलाई और 29 से 31 जुलाई 2021 तक यूरिया अमोनिया संयंत्र (कच्चा माल) में रखरखाव कार्य के कारण संयंत्र को कम लोड पर संचालित किया गया था।</li> <li>• अमोनिया और यूरिया संयंत्रों में अनुरक्षण कार्य के कारण, अगस्त 2021 के महीने में यूरिया संयंत्र को कम लोड पर रुक-रुक कर संचालित किया गया था। इसके अलावा 29 अगस्त से 11 अक्टूबर 2021 तक, अमोनिया (क्रमशः लाइन II और I) संयंत्र में कैटालिस्ट प्रतिस्थापन और अन्य रखरखाव कार्यों के कारण यूरिया संयंत्रों की केवल दो स्टीम प्रचालन में थीं।</li> <li>• नवंबर 2021 में, सर्विस बॉयलर के ट्रिपिंग के कारण 20 नवंबर 2021 को यूरिया का उत्पादन प्रभावित हुआ था और अमोनिया संयंत्र (कच्चा माल) में प्रोसेस एयर कंप्रेसर में रखरखाव कार्य के कारण 22 नवंबर 2021 तक संयंत्र को कम लोड पर संचालित किया गया था।</li> <li>• दिसंबर 2021 में 20 से 25 दिसंबर 2021 तक अमोनिया संयंत्र (कच्चे माल का सीमित होना) में प्रोसेस एयर कंप्रेसर में रखरखाव कार्य के कारण यूरिया उत्पादन प्रभावित हुआ था।</li> <li>• जनवरी 2022 में 20 से 26 जनवरी 2022 तक अमोनिया संयंत्र में प्रोसेस एयर कंप्रेसर में रखरखाव के कार्य के कारण यूरिया का उत्पादन (कच्चे माल का सीमित होना) प्रभावित हुआ था।</li> </ul>
<p><b>आरसीएफ-ट्रॉम्बे</b></p>	<p>कार्बामेट कंडेंसर ट्यूब लीकेज के कारण संयंत्र 17 जून से 20 जून तक और फिर 28 जून 2021 से 05 जुलाई 2021 तक बंद रहा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ अमोनिया (कच्चा माल) संयंत्र में रखरखाव कार्य के कारण 28 जुलाई 2021 से 02 अगस्त 2021 तक पुनः संयंत्र बंद रहा।</li> <li>▪ यूरिया स्ट्रिपर आउटलेट लाइन वाष्प रिसाव के कारण यूरिया संयंत्र 04 से 08 सितंबर 2021 तक बंद रहा।</li> <li>▪ कार्बामेट कंडेन्सर में ट्यूब लीकेज के कारण संयंत्र अक्टूबर 2021 के महीने में 12 से 16 अक्टूबर 2021 तक बंद रहा।</li> <li>▪ कार्बामेट कंडेन्सर ट्यूब लीकेज के कारण 3 नवंबर से 5 नवंबर तक यूरिया संयंत्र बंद रहा। इसके अलावा, कार्बामेट कंडेन्सर की सीमा (ट्यूब रिसाव के कारण इसके अचानक टूटने से बचने के लिए) के कारण संयंत्र को नवंबर 2021 के पूरे महीने प्रतिबंधित लोड पर संचालित किया गया था।</li> <li>▪ कार्बामेट कंडेन्सर में संदिग्ध रिसाव के कारण दिसंबर 2021 के महीने में यूरिया संयंत्र 01</li> </ul>

	<p>से 22 दिसंबर 2021 तक प्रतिबंधित लोड पर संचालित किया गया था। कार्बामिट कंडेन्सर में रिसाव को ठीक करने के कार्य के लिए 23 दिसंबर 2021 से योजनाबद्ध शटडाउन लिया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जनवरी 2022 में, कार्बामिट कंडेन्सर में रखरखाव कार्य के कारण यूरिया संयंत्र 05 से 10 जनवरी 2022 तक और फिर 29 जनवरी 2022 से बंद रहा। कार्बामिट कंडेन्सर की सीमा के कारण महीने की शेष अवधि के लिए संयंत्र प्रतिबंधित लोड पर संचालित किया गया था।</li> </ul>
<b>इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - जगदीशपुर</b>	<p>वार्षिक संयंत्र रखरखाव, जिसे नवंबर/दिसंबर-21 से जनवरी/फरवरी-22 महीने के लिए आस्थगित रखा गया था, के लिए 24 जनवरी '22 से संयंत्र बंद होने के कारण कम ऑन-स्ट्रीम दिनों के चलते जनवरी '22 में वास्तविक उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 31689 मीट्रिक टन कम है।</p>
<b>सीएफसीएल:गड़ेपान-I</b>	<p>गड़ेपान-I में उत्पादन हानि सिंथेसिस गैस टर्बाइन के उच्च जर्नल बियरिंग तापमान के कारण अमोनिया संयंत्र के कम लोड संचालन के कारण है।</p>
<b>सीएफसीएल:गड़ेपान-II</b>	<p>गड़ेपान-II में उत्पादन हानि सिंथेसिस गैस टर्बाइन की सीमा और बीएफडब्ल्यू प्री-हीटर से रिसाव के कारण है।</p>
<b>सीएफसीएल:गड़ेपान-III</b>	<p>गड़ेपान-III में उत्पादन हानि मुख्य रूप से गड़ेपान-III के लिए 12.7 लाख मीट्रिक टन की अनुमोदित वार्षिक क्षमता को देखते हुए संयंत्र लोड को अधिकतम करने के कारण है। उत्पादन लक्ष्य 11 मार्च 22 तक पूरा होने की संभावना है, उसके बाद उत्पादन के लिए उर्वरक विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होगी।</p>
<b>जीएसएफसी-वडोदरा</b>	<p>संयंत्र को आपातकालीन रूप से बंद करने के कारण कम उत्पादन।</p>
<b>स्पिक</b>	<p>सीओ2 एक्सचेंजर लीक, रेक्टर ब्लॉक वाल्व में रिसाव के कारण कम लोड पर प्रचालन।</p>
<b>एमएफएल-चेन्नई</b>	<p>13-19 जनवरी, 2022 के बीच आरएलएनजी आपूर्ति फेल होने और आईओसीएल द्वारा लगाए गए प्रवाह प्रतिबंधों के कारण यूरिया का उत्पादन थोड़ा कम था।</p>
<b>एनएफसीएल-II</b>	<p>गेल से गैस स्टॉपेज नोटिस प्राप्त हुआ, 17 अगस्त 2021 को 12:10 बजे यूनिट-II को बंद किया गया।</p>

<b>संयंत्र/इकाई का नाम</b>	<b>पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में 2021-22 के दौरान कम उत्पादन के कारण</b>
<b>आरसीएफ-ट्रॉम्बे</b>	<p>सीमित कच्चे माल (एमएपी/डीएपी) के कारण संयंत्र को अप्रैल 2021 में पूरे महीने कम लोड पर संचालित किया गया। इसके अलावा, 08 मई से 07 जून 2021 तक और फिर 11 से 13 जून 2021 तक सीमित कच्चे माल (एमएपी/डीएपी) के कारण संयंत्र बंद रहा। दिसंबर 2021 में रखरखाव तथा रिएक्शन टैंक के सफाई कार्य के चलते संयंत्र का संचालन</p>

	रुक-रुक कर कम लोड पर किया गया। जनवरी 2022 में रिएक्शन टैंकों के सफाई कार्य के कारण 13 जनवरी को कम लोड पर संयंत्र का संचालन किया गया और सीमित कच्चे माल (नाइट्रिक एसिड) के कारण 25 जनवरी से 29 जनवरी 2022 तक कम लोड पर संचालित किया गया।
<b>जीएसएफसी- वड़ोदरा</b>	कच्चे माल की पीए की कमी और रखरखाव के काम के कारण कम उत्पादन।
<b>जीएसएफसी-सिक्का</b>	(1) एनपीए लेवल के अनुसार और डब्ल्यूएनए स्टॉक के संरक्षण के लिए संयंत्र लोड 06 दिन के लिए प्रतिबंधित रहा। (2) कच्चे माल की कमी के कारण संयंत्र 10/01/22 (16:00 बजे) से 31/01/22 तक बंद था। (3) अधिक शून्य दिन (बजटित: 1 दिन बनाम वास्तविक: 21 दिन)
<b>जीएफएल</b>	कच्चे माल की अनुपलब्धता
<b>एमएफएल-चेन्नई</b>	कच्चे माल की अधिक लागत के कारण एनपीके का उत्पादन कम था।

संयंत्र/इकाई का नाम	यूरिया के लिए 2022-23 के दौरान (नवंबर 2022 तक) कम उत्पादन के कारण
<b>यूरिया</b>	
<b>एनएफएल: पानीपत</b>	यूरिया में सीओ2 कंप्रेसर की मोटर में बिजली की खराबी के कारण यूरिया संयंत्र को 24.08.2022 से 05.09.2022 तक अनिवार्य रूप से रोका गया।
<b>एनएफएल : नंगल</b>	गेल स्टेशन, नंगल से गैस के दबाव में अचानक गिरावट के कारण जुलाई 2022 में यूरिया संयंत्र में एक हीट एक्सचेंजर में अचानक रिसाव और जुलाई 2022 में संयंत्र ट्रिपिंग को रोकने के लिए 19 दिनों के लिए मई/जून 2022 में एक आपातकालीन शटडाउन लिया गया।
<b>विजयपुर-1: इकाई</b>	दिनांक 02.04.2022 से 19.04.2022 तक अमोनिया संयंत्र में रिफॉर्मर् गैस (आरजी) बॉयलर में अचानक अत्यधिक रिसाव के कारण अप्रत्याशित शटडाउन लिया गया।
<b>जीएसएफसी: वड़ोदरा</b>	माह अगस्त 2022 में यांत्रिक रखरखाव कार्य के लिए शटडाउन।
<b>बीवीएफसीएल-11: नामरूप</b>	अमोनिया सिंथेसिस सेक्शन के फेल हो जाने के कारण अमोनिया और यूरिया संयंत्र बंद।
<b>एमएफएल: चेन्नई</b>	अक्टूबर, 2022 के महीने में टॉप लिड रिसाव से निपटने के लिए यूरिया रिएक्टर का रखरखाव किया जा रहा था।
<b>आरएफसीएल: रामागुंडम</b>	जुलाई, 2022 के महीने में अपस्ट्रीम बेल्ट पर यूरिया प्लांट का स्टॉपेज और प्रिलिंग टॉवर रोटरी स्क्रैपर की सील स्ट्रिप डैमेज हुई। 07.09.2022 से 25 दिनों की अवधि के लिए

	शटडाउन लिया गया।
<b>एचयूआरएल :</b> <b>गोरखपुर</b>	माह सितंबर, 2022 में अमोनिया व यूरिया दोनों संयंत्रों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। कंट्रोल वाल्व ग्लैंड और बॉडी फ्लैज लीक हो रहे थे जिसके परिणामस्वरूप उपकरणों को नुकसान हुआ और वाल्व बंद हो गए।
<b>इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड:</b> <b>जगदीशपुर</b>	17 सितंबर, 2022 से 10 अक्टूबर, 2022 के दौरान अमोनिया/यूरिया संयंत्र संचालन को अनिवार्य रूप से बंद करना।
<b>केएफसीएल: कानपुर</b>	अक्टूबर, 2022 में केस्को की तरफ से कुछ बड़ी खराबी हुई।
<b>मैटिक्स : पानागढ़</b>	नवंबर, 2022 के महीने में, जीटीपीएसी निम्न वाष्प दाब पर ट्रिप हो गया। संयंत्र पूरे महीने बंद रहा।

<b>संयंत्र/इकाई का नाम</b>	<b>पीएण्डके उर्वरकों के लिए 2022-23 के दौरान (नवंबर 2022 तक) कम उत्पादन के कारण</b>
	पीएण्डके उर्वरक एक विनियंत्रित वस्तु है और एनबीएस योजना के तहत मुक्त सामान्य लाइसेंस ((ओजीएल) के तहत आता है। पीएण्डके उर्वरक उद्योग अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्य शर्तों के अनुसार अपने व्यापारिक निर्णय लेते हैं। पीएण्डके उर्वरक उद्योग जब भी यह महसूस करते हैं कि देश में इन उर्वरकों का उत्पादन करने की तुलना में आयात करना अधिक फायदेमंद है तो आयात करते हैं। भारत के पास डीएपी और अन्य पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के लिए पर्याप्त कच्चा माल नहीं है।

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

### समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 14 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

#### उपस्थित

डॉ. शशि थरूर - सभापति

#### सदस्य

##### लोक सभा

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री कृपानाथ मल्लाह
4. श्री सत्यदेव पचौरी
5. श्री अरूण कुमार सागर
6. श्री प्रदीप कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

##### राज्य सभा

9. डा. अनिल जैन
10. श्री अरूण सिंह

#### सचिवालय

- |                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| 5. श्री विनय कुमार मोहन | - | संयुक्त सचिव |
| 6. श्री एन. के. झा      | - | निदेशक       |
| 7. श्रीमती गीता परमार   | - | अपर निदेशक   |
| 8. श्री कुलविंदर सिंह   | - | उप सचिव      |
| 9. श्री पन्नालाल        | - | अवर सचिव     |

#### साक्षी

#### रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री अरूण सिंघल - सचिव (उर्वरक)
2. श्री संजय रस्तोगी - अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
3. सुश्री नीरजा अदिदम - अपर सचिव

- |     |                         |                            |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 4.  | सुश्री अनीता सी मेश्राम | - संयुक्त सचिव             |
| 5.  | श्री अरविंद कुमार       | - संयुक्त सचिव             |
| 6.  | श्री प्रियरंजन          | - संयुक्त सचिव, कृषि विभाग |
| 7.  | डॉ. प्रतिभा ए           | - आर्थिक सलाहकार           |
| 8.  | श्री अवतार एस. संधु     | - सीसीए                    |
| 9.  | डॉ. टीना सोनी           | - निदेशक                   |
| 10. | श्री एम. सुब्रमनियम     | - निदेशक                   |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने उर्वरक विभाग से संबंधित 'सतत फसल उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नैनो उर्वरक' विषय संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के साथ-साथ ही वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के संबंध में उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया लिए।

3. तत्पश्चात, सभापति ने समिति की बैठक में उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। समिति की बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश'के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए, सभापति ने विभाग से कहा कि वह समिति को वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित निधियों की तुलना में कम निधियों के आवंटन के कारणों, इस वर्ष कम आवंटन के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाली विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए किए जा रहे उपायों, वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधियों की तुलना में 31 मार्च, 2023 तक निधियों का संभावित उपयोग, यूरिया और एनबीएस राजसहायता योजना के संबंध में अग्रेनीत देयताओं, यूरिया राजसहायता योजना को जारी रखने के संबंध में स्थिति, अनुसंधान एवं विकास बजट शीर्ष में सहायता अनुदान के लिए 0-10 रुपये करोड़ की सांकेतिक राशि मांगने के कारणों, उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु, लक्षित ऊर्जा मानदंडों को समय पर प्राप्त करने के लिए उर्वरक इकाइयों को सुविधा देने हुए किए गए प्रयास और वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा जोर दिये जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों के बारे में अवगत कराए।

4. सचिव, उर्वरक विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान मांगों की मुख्य विशेषताओं, वर्षों से प्रमुख उर्वरकों की खपत, यूरिया और पीएंडके उर्वरकों के उत्पादन आँकड़े, गत 5 वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रुझान, उर्वरक राजसहायता योजनाओं, वर्ष 2019-20 और 2021-22 के दौरान बजट आवंटन और व्यय; वर्ष 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय (जनवरी, 2023 तक) पर प्रकाश डालते हुए पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया। सचिव ने बजट 2023-24 की घोषणाओं जैसे "पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम" (पीएम-प्रणाम); किण्वित जैविक खाद (एफओएम) के लिए बाजार विकास सहायता हेतु प्रस्ताव, किण्वित जैविक खाद

(एफओएम), फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (पीआरओएम) और सतत एवं गोबरधन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य जैविक उर्वरक और जैव-उर्वरक; उर्वरक ग्रेड यूरिया के लिए सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन; एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) से संबंधित सरकार की अन्य पहलें; प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके); एक राष्ट्र एक उर्वरक (ओएनओएफ); उर्वरक उड़नदस्ता और शीर्ष 20 खरीदार के बारे में बताया। सचिव ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे अभिनव/वैकल्पिक उर्वरकों और सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) और सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया (एसएसपी + यूरिया) जैसे नए फोर्टिफाइड यूरिया मिश्रणों की शुरूआत और संवर्धन के बारे में भी उल्लेख किया।

5. सदस्यों ने कई प्रश्न पूछे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों में अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए प्रयास; दीर्घावधि परिचालन शुरू करने हेतु बायो-गैस संयंत्रों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए गांवों में प्रशिक्षित तकनीकी मैकेनिकों की उपलब्धता के लिए उठाए गए कदम; किसानों द्वारा यूरिया के उपयोग को कम करने के प्रयास; सल्फर लेपित यूरिया और एसएसपी + यूरिया (डीएपी के बजाय) के मिश्रण को बढ़ावा देने की आवश्यकता; जैव उर्वरकों, जैविक उर्वरकों, जैव खादों, वैकल्पिक उर्वरकों आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करना; यूरिया की चोर बाजारी और अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए जिला स्तर पर उचित निगरानी; परंपरागत यूरिया के 04 बोरों की खरीद के साथ नैनो यूरिया की एक (01) बोतल की बिक्री को अनिवार्य बनाकर नैनो यूरिया को बढ़ावा देना; नैनो यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना; उर्वरक राजसहायता के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीसीटी) शुरू न किए जाने के कारणों; सिटी कम्पोस्ट योजना को बंद करने के कारणों; उर्वरक निर्माण संयंत्रों द्वारा ऊर्जा मानदंडों को प्राप्त करना; पीएमकेएसके में नैनो यूरिया के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना; नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन की खरीद पर राजसहायता प्रदान करना; ड्रोन के उत्पादन को पीएलआई योजना के तहत लाना; नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए किसानों को हस्तचालित/बैटरी चालित अन्य स्पिंकलर उपलब्ध कराना; आदि शामिल थे। उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए।

6. सभापति ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने और सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उर्वरक विभाग के सचिव और अन्य प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। सभापति ने सचिव, उर्वरक विभाग से सदस्यों द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों, जिनका समिति की बैठक के दौरान उत्तर न दिया जा सका, के लिखित उत्तर 2-3 दिनों के भीतर देने के लिए कहा।

7. बैठक की कार्यवाहियों के शब्दशः रिकार्ड की प्रति रखी गई है।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।)

तत्पश्चात्, समिति ने उर्वरक विभाग से संबंधित 'सतत फसल उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नैनो उर्वरक' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के स्वीकार किया। तत्पश्चात्, समिति ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आलोक में प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे संसद में प्रस्तुत करने हेतु सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।





3. तत्पश्चात्, समिति ने सभापति को प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संबंधित मंत्रालय/विभागों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापनों के आलोक में संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

***तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।***